37

श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

वस्त्र मंत्रालय

[मानव निर्मित फाइबर का विकास]

सैंतीसवां प्रितवेदन

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

दिसम्बर, 2022/ अग्रहायण, 1944 (शक)

सैंतीसवां प्रतिवेदन

श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

वस्त्र मंत्रालय

[मानव निर्मित फाइबर का विकास]

माननीय अध्यक्ष को 05. 09.2022 को प्रस्तुत किया गया

माननीय अध्यक्ष, राज्य सभा द्वारा 12.10.2022 को देखा गया

लोक सभा में 08.12.2022 को प्रस्तुत किया गया

राज्य सभा के पटल पर 08.12.2022 को रखा गया

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

दिसम्बर, 2022/ अग्रहायण, 1944 (शक)

विषय-सूची

		पृष्ठ सं.
समिति की संरचना (2020-21)		iv
समिति की संरचना (2021-22)		v
समिति की संरचना (2022-23)		Vi
		Vii
प्राक्कथन		
	प्रतिवेदन	
भाग – एक	**व्याख्यात्मक टिप्पणी**	**1**
एक.	**परिचय**	**1**
दो.	**वैश्विक एमएमएफ उत्पादन/व्यापार और भारत का एमएमएफ वस्त्र और परिधान उद्योग**	**3**
तीन.	**भारत की परिधान मूल्य श्रृंखला**	**8**
चार.	**मानव निर्मित वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए पहल**	**18**
पांच.	**व्यापार उपचारात्मक उपाय**	**24**
	(i) **उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन**	**28**
	(*ii*) प्रौद्योगिकी उन्नयन	**32**
	(*iii*) तकनीकी वस्त्र	**33**
छह.	**एमएमएफ क्षेत्र को सुदृढ़ करने हेतु अन्य उपाय**	**38**
सात.	**कपास बनाम एमएमएफ**	**41**
भाग – दो	**टिप्पणियां/सिफारिशें**	**45-57**
	अनुबंध	
अनुबंध एक	समिति (2020-21) की 03 नवंबर, 2020 को हुई तीसरी बैठक का कार्यवाही सारांश।	
अनुबंध दो	समिति (2021-22) की 19 जुलाई, 2022 को हुई इक्कीसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश।	
अनुबंध तीन	समिति (2021-22) की 22 अगस्त, 2022 को हुई चौबीसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश।	

श्रम संबंधी समिति की संरचना

(2020-21)

श्री भर्तृहरि महताब – सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
3. श्री पल्लब लोचन दास
4. श्री दयाकर पसुनूरी
5. श्री फिरोज़ वरुण गांधी
6. श्री सतीश कुमार गौतम
7. श्री बी.एन. बचेगौडा
8. डॉ. उमेश जी. जाधव
9. श्री धर्मेन्द्र कश्यप
10. एडवोकेट डीन कुरियाकोस
11. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक
12. श्री खलीलुर रहमान
13. श्री डी. रविकुमार
14. श्री नायब सिंह सैनी
15. श्री नव कुमार सरनीया
16. श्री गणेश सिंह
17. श्री भोला सिंह
18. श्री के. सुब्बारायण
19. @ रिक्त
20. # रिक्त
21. $ रिक्त

राज्य सभा

22. श्री दुष्यंत गौतम
23. श्री नीरज डांगी
24. श्री ऑस्कर फर्नांडिस
25. श्री इलामारम करीम
26. ^ श्री महेश जेठमलानी
27. डा. बांडा प्रकाश
28. * श्री नरेश बंसल
29. सुश्री दोला सेन
30. श्री एम. शनमुगम
31. श्री विवेक ठाकुर

@ श्री पी. के. कुन्हालीकुट्टी द्वारा त्यागपत्र देने से 3 फरवरी, 2021 से रिक्त।

श्री जॉन बर्ला की केन्द्रीय मंत्री के रूप में नियुक्ति होने के कारण वे 07.07.2021 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

$ डॉ. वीरेन्द्र कुमार की केन्द्रीय मंत्री के रूप में नियुक्ति होने के कारण वे 07.07.2021 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

^ श्री रघुनाथ महापात्रा की मृत्यु होने के कारण 11 जून, 2021 से समिति में नामनिर्देशित

* श्री राजाराम के सेवानिवृत होने के कारण 23 दिसंबर, 2021 से समिति में नामनिर्देशित

श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति की संरचना

(2021-22)

श्री भर्तृहरि महताब – सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
3. कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल
4. श्री डी. रविकुमार
5. श्री पल्लब लोचन दास
6. श्री दयाकर पसुनूरी
7. श्री फिरोज वरुण गांधी
8. श्री सतीश कुमार गौतम
9. श्री बी.एन. बचेगौडा
10. डॉ. उमेश जी. जाधव
11. श्री धर्मेन्द्र कश्यप
12. श्री पकौड़ी लाल कोल
13. एडवोकेट डीन कुरियाकोस
14. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक
15. श्री खलीलुर रहमान
16. श्री नव कुमार सरनीया
17. श्री भोला सिंह
18. श्री गणेश सिंह
19. श्री नायब सिंह सैनी
20. श्री के. सुब्बारायण
21. श्री गिरिधारी यादव

राज्य सभा

22. श्री नरेश बंसल
23. श्री नीरज डांगी
24. श्री इलामारम करीम
25. सुश्री दोला सेन
26. श्री एम. शनमुगम
27. श्री विवेक ठाकुर
28. श्री विजय पाल सिंह तोमर
29. रिक्त
30. * रिक्त
31. ** रिक्त

सचिवालय

1. श्री टी. जी. चन्द्रशेखर	-	संयुक्त सचिव
2. श्री डी. आर. मोहंती	-	निदेशक
3. श्री के. जी. सिद्धार्थ	-	उप सचिव

---

*श्री बांडा प्रकाश द्वारा 04.12.2021 को त्यागपत्र देने के कारण रिक्त।

** श्री दुष्यंत गौतम द्वारा 01.08.2022 को त्यागपत्र देने के कारण रिक्त।

श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति का गठन

(2022-23)

श्री भर्तृहरि महताब – सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया

3. कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल

4. श्री पल्लब लोचन दास

5. श्री फिरोज वरुण गांधी

6. श्री सतीश कुमार गौतम

7. श्री बी.एन. बचेगौडा

8. डॉ. उमेश जी. जाधव

9. श्री धर्मेन्द्र कश्यप

10. एडवोकेट डीन कुरियाकोस

11. श्री पकौड़ी लाल कोल

12. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक

13. श्री दयाकर पसुनूरी

14. श्री खलीलुर रहमान

15. श्री डी. रविकुमार

16. श्री नव कुमार सरनीया

17. श्री भोला सिंह

18. श्री गणेश सिंह

19. श्री नायब सिंह सैनी

20. श्री के. सुब्बारायण

21. श्री गिरिधारी यादव

राज्य सभा

22. श्री नरेश बंसल

23. श्री नीरज डांगी

24. श्री आर. धरमार

25. प्रो. मनोज कुमार झा

26. श्री इलामारम करीम

27. सुश्री दोला सेन

28. श्री एम. शनमुगम

29. श्री शिबू सोरेन

30. श्री विजय पाल सिंह तोमर

31. श्री बिनोय विस्वम

प्राक्कथन

मैं, श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति (2021-22) का सभापति समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर उनकी ओर से वस्त्र मंत्रालय से संबंधित 'मानव निर्मित फाइबर का विकास' संबंधी यह सैंतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

2. समिति **(2020-21)** ने वस्त्र मंत्रालय के प्रतिनिधियों का 03.11.2020 को मौखिक साक्ष्य लिया। समिति **(2021-22)** ने भी वस्त्र मंत्रालय के प्रतिनिधियों का **19.07.2022** को मौखिक साक्ष्य लिया। समिति ने 22 अगस्त, 2022 को हुई बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और स्वीकार किया।

3. समिति वस्त्र मंत्रालय के प्रतिनिधियों को इस विषय की जांच के संबंध में साक्ष्य देने और समिति द्वारा मांगी गई अपेक्षित सूचना देने के लिए धन्यवाद देती है।

4. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;
25 अगस्त, 2022
3 भाद्रपद, 1944 (शक)

भर्तृहरि महताब,
सभापति,
श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी
स्थायी समिति

प्रतिवेदन

भाग - एक

परिचय

1. भारतीय परिधान उद्योग में कपास का प्रभुत्व है और यह घरेलू वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल है। यह लाखों किसानों के साथ-साथ कपास उद्योग में शामिल कामगारों को भी प्रसंस्करण से लेकर इसके व्यापार तक जीविका प्रदान करता है और वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल बना रहेगा। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में, आपूर्ति पक्ष के दबाव और मूल्य अस्थिरता के कारण, कपास से धीरे-धीरे मानव निर्मित फाइबर की ओर स्थानांतरित करने का अवसर उभरा ताकि लगातार बढ़ते उपभोक्ता आधार की मांगों को पूरा किया जा सके।

2. मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) का उत्पादन पॉलिमर या कच्चे माल के छोटे अणुओं, मुख्य रूप से पेट्रोलियम आधारित रसायनों के संयोजन से किया जाता है। एमएमएफ को कार्बनिक और अकार्बनिक में वर्गीकृत किया जा सकता है। कार्बनिक एमएमएफ या तो प्राकृतिक पॉलिमर को बदलकर या सिंथेटिक पॉलिमर से बनाया जाता है जबकि अकार्बनिक एमएमएफ कार्बन, सिरेमिक, ग्लास, धातु आदि होते हैं और द्वि/बहु-घटक फाइबर द्वारा उत्पादित होते हैं। शुद्ध टेरेफ्थालिक एसिड (पीटीए) और मोनो एथिलीन ग्लाइकोल (एमईजी) मूल्य श्रृंखला में फाइबर और फिलामेंट के उत्पादन के लिए एमएमएफ उद्योग द्वारा उपयोग किए जाने वाले बुनियादी कच्चे माल हैं।

3. आज, भारतीय मानव निर्मित फाइबर वस्त्र उद्योग में पॉलिएस्टर, विस्कोस, नायलॉन या ऐक्रेलिक जैसे कई प्रकार के सिंथेटिक फाइबर का उत्पादन करने की अपनी क्षमता से वैश्विक क्षेत्र में केन्द्रीय स्थान रखने की क्षमता रखता है, क्योंकि फाइबर और फिलामेंट, विनिर्माण से लेकर परिधान, घर की साज-सज्जा और तकनीकी वस्त्र उत्पादों

तक वस्त्र मूल्य श्रृंखला में इसकी विविध उपस्थिति के कारण और यह एक विशिष्ट लाभ की स्थिति में है क्योंकि कपास आधारित कपड़ों के विकल्प के रूप में मानव निर्मित फाइबर वस्त्रों की मांग में लगातार वृद्धि जारी है।

4. भारत दुनिया में एमएमएफ (**5.48** मिलियन मीट्रिक टन) का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है**,** चीन **45.70** मिलियन मीट्रिक टन के साथ सबसे बड़ा निर्माता है, इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका (**1.99** मिलियन मीट्रिक टन)**,** ताइवान (**1.90** मिलियन मीट्रिक टन) और दक्षिण कोरिया (**1.37** मिलियन मीट्रिक टन) का स्थान है। फाइबर का वैश्विक उत्पादन **1900** में **4** मिलियन मीट्रिक टन से **20** गुना बढ़कर **2016** में **88** मिलियन मीट्रिक टन**,** **2017** में **98** मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर **2019** में **104** मिलियन मीट्रिक टन हो गया है। एमएमएफ **2015-2030** के बीच कुल फाइबर मिल खपत में लगभग **84** प्रतिशत का योगदान देगा। (पीसीआई वुड मैकेंज़ी)। इसी तरह**,** अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति (आईसीएसी) के अनुमान के अनुसार**,** **2025** तक गैर-कपास खंड द्वारा फाइबर खपत का लगभग **80%** योगदान दिया जाएगा।

5. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में और एमएमएफ के विकास और संवर्धन का आकलन करने तथा इसके विकास में बाधा उत्पन्न करने वाले विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों के दृष्टिगत, समिति ने इस विषय और प्रतिवेदन को जांच हेतु लिया। इस प्रक्रिया में**,** समिति ने उनके मौखिक साक्ष्य लेने के अलावा वस्त्र मंत्रालय से पृष्ठभूमि टिप्पण और साक्ष्योपरांत लिखित उत्तर प्राप्त किए। मंत्रालय के लिखित और मौखिक साक्ष्यों के आधार पर समिति ने इस विषय से संबंधित विभिन्न मुद्दों का विश्लेषण किया है जैसा कि समिति की विचारित टिप्पणियों/सिफारिशों का आगे के पैराग्राफों में उल्लेख किया गया है।

दो. <u>वैश्विक एमएमएफ उत्पादन/व्यापार और भारत का एमएमएफ वस्त्र और परिधान उद्योग</u>

6. समिति को सूचित किया गया कि वर्ष 2009 से 2019 के दौरान वैश्विक मानव निर्मित फाइबर का उत्पादन 5.10% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ा है और वर्ष 2009 में उत्पादन 46 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2019 में 76.5 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा, 2019 में फाइबर का वैश्विक उत्पादन 104 मिलियन टन था, जिसमें से मानव निर्मित फाइबर का 73.87 प्रतिशत, कपास का 25.08 प्रतिशत और ऊन का फाइबर के कुल उत्पादन में 1.05 प्रतिशत का योगदान रहा।

7. मंत्रालय ने यह भी बताया कि मानव निर्मित फाइबर उत्पादन में से पॉलिएस्टर, पॉलीएमाइड, ऐक्रेलिक आदि जैसे सिंथेटिक फाइबर का हिस्सा लगभग 90 प्रतिशत और सेल्यूलोसिक फाइबर का हिस्सा 10 प्रतिशत था। उत्पादन की वृद्धि का रुझान यह संकेत देता है कि मानव निर्मित फाइबर का वैश्विक उत्पादन 5.10 प्रतिशत के सीएजीआर की तुलना में कपास फाइबर (सीएजीआर: 2009-2019 की अवधि के लिए सीएजीआर: 0.61 प्रतिशत) की अधिक वृद्धि दर के साथ बढ़ा है।

8. इसके अलावा, सिंथेटिक फाइबर के बीच, पॉलिएस्टर हमेशा वैश्विक मानव निर्मित फाइबर उत्पादन के बीच हावी फाइबर रहा है और इसने 2019 में लगभग 57.23 मिलियन टन का योगदान दिया है। मंत्रालय ने पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न के उत्पादन में 2008 में 18.7 मिलियन टन से 2019 में 40.76 मिलियन टन तक 7.34% सीएजीआर के साथ वृद्धि पर भी प्रकाश डाला।

9. इसके अलावा, मंत्रालय ने आगे बताया कि पॉलीएमाइड जैसे सिंथेटिक फाइबर के अन्य घटकों में 5.63 मिलियन टन और पॉलीप्रोपाइलीन, एक्रिलिक्स और अन्य का

संयुक्त उत्पादन की मात्रा 2019 में 6.6 मिलियन टन थी, जबकि इसी अवधि के दौरान सेल्यूलोसिक फाइबर का उत्पादन 6.38 मिलियन टन था। पॉलीमाइड फिलामेंट यार्न के उत्पादन के मामले में, जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर खेल परिधान और सामान, साहसिक उपकरण और यात्रा सामान जैसे तकनीकी वस्त्रों के निर्माण के लिए किया जाता है, इसने पिछले दस वर्षों के दौरान सकारात्मक वृद्धि भी देखी है, जिसमें 2008 में 3.4 मिलियन टन से 4.30% सीएजीआर के साथ 2019 में 5.4 मिलियन टन की वृद्धि देखी गई है।

10. जहां तक वस्त्र और परिधान (टी एंड ए) में वैश्विक व्यापार का संबंध है, मंत्रालय ने बताया कि यह 2010 में 639.5 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2021 में 864.61 बिलियन डॉलर हो गया है। टी एंड ए में मानव निर्मित फाइबर ट्रेड भी 2010 में 233.71 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2021 में 361.66 बिलियन डॉलर हो गया। जबकि 2010-21 की अवधि के दौरान वैश्विक निर्यात में 2.78 प्रतिशत सीएजीआर की वृद्धि हुई है, मानव निर्मित फाइबर वस्त्रों के निर्यात ने 4.05 प्रतिशत के सीएजीआर के साथ मजबूत वृद्धि हासिल की है।

11. मंत्रालय ने यह भी बताया था कि वैश्विक मानव निर्मित फाइबर खपत पैटर्न पर दो वैश्विक एजेंसियों नामतः वुड मैकेंजी और अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति (आईसीएसी) द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार, यह अनुमान लगाया गया है कि मानव निर्मित फाइबर 2015-2030 के बीच कुल फाइबर मिल खपत में लगभग 84 प्रतिशत और गैर-कपास खंड में क्रमशः 80 प्रतिशत योगदान देगा। मंत्रालय ने आगे बताया कि 2030 तक 80:20 (80 प्रतिशत एमएमएफ और 20 प्रतिशत गैर-एमएमएफ) के इस अनुपात को प्राप्त करने के लिए, एमएमएफ टी एंड ए निर्यात को 29 प्रतिशत के सीएजीआर पर बढ़ने की आवश्यकता है, जबकि गैर-एमएमएफ टी एंड ए खंड को 2030

तक यूएस 300 बिलियन डॉलर के वस्त्र निर्यात विजन को प्राप्त करने के लिए लगभग 7 प्रतिशत की दर से बढ़ने की आवश्यकता है।

12. जहां तक विश्व स्तर पर निर्यातित मानव निर्मित उत्पादों के ब्रेक-अप का संबंध है, मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

> "वैश्विक शीर्ष निर्यातित एमएमएफ उत्पादों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि 90 उत्पाद हैं जो एमएमएफ निर्यात बास्केट में लगभग 302 बिलियन डॉलर के मूल्य का योगदान करते हैं, जो लगभग 83.75 प्रतिशत है। इस उत्पाद में भारत की हिस्सेदारी लगभग 2.48 प्रतिशत है। इन 90 उत्पादों में 37 परिधान उत्पाद, 20 वस्त्र और 11 यार्न, 11 मेड-अप और नौ तकनीकी वस्त्र उत्पाद और दो फाइबर उत्पाद शामिल हैं। इन शीर्ष 90 उत्पादों में भारत की हिस्सेदारी 2.49 प्रतिशत थी और इसका मूल्य 7.53 अरब डॉलर था, जिनमें से 20 उत्पाद हमारे पास अच्छी मात्रा में हैं जो लगभग 6.01 अरब डॉलर मूल्य के हैं। भारत को अपने उत्पाद बास्केट में विविधता लाने की जरूरत है ताकि एमएमएफ उत्पादों में निर्यात का उच्च स्तर हासिल किया जा सके।"

13. जहां तक विश्व स्तर पर भारतीय मानव निर्मित फाइबर उत्पादों के कार्य-निष्पादन का संबंध है, मंत्रालय ने आगे निम्नवत बताया:

> "हमारा सबसे बड़ा कारक यह है कि हमें यूरोपीय संघ और ब्रिटेन में आयात शुल्क लगाना होगा। हमारी टक्कर में संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका में हम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन हम यूरोपीय बाजार और ब्रिटेन में इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं क्योंकि साढ़े 9 से 10 प्रतिशत का शुल्क हमारे निर्यातकों द्वारा वहन किया जाता है। इतने ऊंचे मार्जिन पर कोई शुल्क नहीं है। साढ़े नौ से 10 प्रतिशत का जो फायदा बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों को आज के दौर में है या तो उन्हें जीएसपी स्पेशल का फायदा मिले या उन्हें हटाया जाए या फिर हम ब्रिटेन और चीन से एफटीए प्राप्त कर सकें। हमारे मंत्री इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। यह माना जाता है कि ब्रिटेन से कम से कम एक प्रारंभिक फसल समझौता

होगा, न कि एक पूर्ण एफटीए, जिसमें वस्त्र शामिल किए जाएंगे। लेकिन, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारे देश हैं।"

14. समिति ने टी एण्ड ए के साथ-साथ मानव निर्मित फाइबर वस्त्रों के वैश्विक निर्यात में प्रमुख योगदानकर्ताओं के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की थी। उत्तर में, मंत्रालय ने बताया कि चीन 40.03% की वैश्विक निर्यात हिस्सेदारी के साथ आगे है, इसके बाद वियतनाम (5.90%), जर्मनी (4.45%), तुर्की (3.80%), इटली (3.49%) का स्थान है और भारत 2.73% की हिस्सेदारी के साथ छठे स्थान पर है। निम्नलिखित तथ्यों को सारणीबद्ध रूप में निम्नवत प्रस्तुत किया गया है:-

वर्ष 2021 में विश्व में शीर्ष 10 एमएमएफ टी एंड ए निर्यातक				
देश	टी एंड ए		मानव निर्मित फाइबर	
	% हिस्सेदारी	सीएजीआर	% हिस्सेदारी	सीएजीआर
चीन	**31.57**	**2.96**	**40.03**	**4.88**
वियतनाम	**5.15**	**11.69**	**5.90**	**15.17**
जर्मनी	**4.70**	**2.11**	**4.45**	**2.48**
इटली	**4.28**	**1.42**	**3.49**	**2.22**
तुर्की	**3.95**	**4.24**	**3.80**	**5.94**
भारत	**4.76**	**3.93**	**2.73**	**5.04**
यूएसए	**2.93**	**0.73**	**2.68**	**0.87**
बांग्लादेश	**5.38**	**9.81**	**2.65**	**21.85**
स्पेन	**2.37**	**5.60**	**2.45**	**8.15**
बेल्जियम	**1.80**	**0.80**	**2.07**	**0.99**
शीर्ष 10	**66.90**	**3.86**	**70.26**	**5.17**
आर ओ वर्ल्ड	**33.10**	**0.85**	**29.74**	**1.86**
कुल	**100.00**	**2.79**	**100.00**	**4.05**

15. हालांकि, मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि भारत का मानव निर्मित फाइबर टी एंड ए निर्यात 2010 से 2021 के दौरान सीएजीआर 5.04% के साथ बढ़ रहा है और चीन (4.88), जर्मनी (2.48) और इटली (2.22) जैसे प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में काफी आगे है। इसलिए, भारत के मानव निर्मित फाइबर वस्त्र निर्यात का प्रदर्शन वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में उत्तरोत्तर तेजी से बढ़ रहा है।

16. जहां तक मानव निर्मित फाइबर टी एंड ए के निर्यात का संबंध है, मंत्रालय ने निम्नवत बताया है:

> "6 अंकों के एचएस स्तर पर 90 उत्पाद वैश्विक निर्यात में 83 प्रतिशत से अधिक का योगदान करते हैं और इन उत्पादों में भारत की हिस्सेदारी 2.48% है। मूल्य के संदर्भ में ये उत्पाद निर्यात क्षेत्र में **7.53** बिलियन यूएस डॉलर का योगदान करते हैं। ब्यौरा इस प्रकार हैं-

शीर्ष निर्यात किया गए एमएमएफ उत्पाद और भारत							
श्रेणी	उत्पादों की संख्या	विश्व निर्यात (अमेरिकी बिलियन डॉलर में)		भारत का निर्यात (अमेरिकी बिलियन डॉलर में)		भारत की हिस्सेदारी (%)	
		2010	**2021**	**2010**	**2021**	**2010**	**2021**
फाइबर	**2**	**5.27**	**6.58**	**0.37**	**0.59**	**7.02**	**8.99**
यार्न	**11**	**13.42**	**17.75**	**0.82**	**1.49**	**6.09**	**8.39**
फेब्रिक	**19**	**39.42**	**57.68**	**1.52**	**1.16**	**3.87**	**2.01**
गारमेंट्स	**37**	**86.64**	**168.68**	**1.02**	**2.53**	**1.17**	**1.50**
मेड-अप्स	**11**	**15.89**	**27.18**	**0.14**	**0.50**	**0.88**	**1.84**
तकनीकी वस्त्र	**9**	**13.30**	**23.99**	**0.19**	**1.22**	**1.44**	**5.09**
अन्य	**1**	**1.42**	**1.01**	**0.09**	**0.04**	**6.02**	**3.65**

शीर्ष निर्यात किया गए एमएमएफ उत्पाद और भारत							
श्रेणी	उत्पादों की संख्या	विश्व निर्यात (अमेरिकी बिलियन डॉलर में)		भारत का निर्यात (अमेरिकी बिलियन डॉलर में)		भारत की हिस्सेदारी (%)	
		2010	**2021**	**2010**	**2021**	**2010**	**2021**
शीर्ष 90	**90**	**175.36**	**302.87**	**4.15**	**7.53**	**2.36**	**2.49**
कुल मानव निर्मित फाइबर	**344**	**233.68**	**361.66**	**5.75**	**9.88**	**2.46**	**2.73**

तीन. <u>भारत की परिधान मूल्य श्रृंखला</u>

17. भारत दुनिया के उन कुछ देशों में से एक है, जो फाइबर से लेकर वस्त्रों और परिधानों और मेड-अप्स की सम्पूर्ण एमएमएफ वस्त्र मूल्य श्रृंखला (टीवीसी) में मौजूद है और भारत चीन के तुरंत बाद दुनिया में मानव निर्मित फाइबर का अग्रणी निर्माता है।

18. मंत्रालय ने बताया कि चीन 45.70 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन के साथ मानव निर्मित फाइबर का सबसे बड़ा निर्माता होने के बावजूद, इसके बाद 5.48 मिलियन मीट्रिक टन के साथ भारत, 1.99 मिलियन मीट्रिक टन के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, 1.90 मिलियन मीट्रिक टन के साथ ताइवान और 1.37 मिलियन मीट्रिक टन के साथ दक्षिण कोरिया का स्थान है, भारत को मानव निर्मित फाइबर वस्त्र उद्योग के लिए फॉरवर्ड और बैकवार्ड दोनों प्रकार के लिंकेज होने का लाभ है।

19. भारत में मानव निर्मित फाइबर के समग्र उत्पादन के विवरण के बारे में पूछे जाने पर**,** मंत्रालय ने बताया कि इस क्षेत्र ने **2009** में **2.76** मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर **2018** में **9.10** प्रतिशत सीएजीआर के साथ **6.05** मिलियन मीट्रिक टन हो गया। इसके

अलावा, पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर का उत्पादन **2013-14** में **1.23** मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर **2018-19** में **6** प्रतिशत सीएजीआर के साथ **1.57** मिलियन मीट्रिक टन हो गया, जबकि **2013-14** में विस्कोस स्टेपल फाइबर के उत्पादन में **361,000** मीट्रिक टन से **2018-19** में **11** प्रतिशत सीएजीआर के साथ **550,000** मीट्रिक टन की वृद्धि दर्ज की गई। भारत का मानव निर्मित फाइबर वस्त्रों का निर्यात वैश्विक बाजार के **3.37%** हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।

20. तत्पश्चात् समिति ने लॉकडाउन के बाद की अवधि में सूती धागे की आपूर्ति की कमी के बीच मानव निर्मित धागों के मूल्यों को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विशिष्ट कदमों के बारे में इच्छा व्यक्त की। इसके उत्तर में, मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

- "सरकार ने सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या **44/2021** डीटीडी के माध्यम से चीन और इंडोनेशिया में उत्पन्न या वहां से निर्यात किए गए "बांस फाइबर को छोड़कर व्हिस्कोस स्टेपल फाइबर" पर एंटी-डंपिंग शुल्क को हटा दिया है।
- सरकार ने सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या **36/2020** डीटीडी के तहत थाईलैंड में उत्पन्न या भारत को निर्यात किए गए ऐक्रेलिक फाइबर पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी हटा दी है।
- देश में प्रतिस्पर्धी मूल्य पर कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, ताइवान, कोरिया और थाईलैंड में उत्पन्न होने वाले या भारत को निर्यात किए जाने वाले पीटीए (एमएमएफ फाइबर और यार्न के निर्माण के लिए एक प्रमुख कच्चे माल) पर सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या **03/2020** डीटीडी **2** फरवरी, **2020** के तहत हटा दिया।"

21. मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारत पीटीए (प्यूरीफाइड टेरेफ्थालिक एसिड) और एमईजी (मोनो एथिलीन ग्लाइकोल), मूल्य श्रृंखला में फाइबर और फिलामेंट के उत्पादन

के लिए मानव निर्मित फाइबर उद्योग द्वारा उपयोग की जाने वाली बुनियादी कच्ची सामग्री का एक प्रमुख निर्माता है।

22. जब सरकार द्वारा दो बुनियादी कच्चे माल नामत:, प्यूरीफाइड टेरेफ्थालिक एसिड (पीटीए) और मोनोएथिलीन ग्लाइकोल (एमईजी) के लाभों का फायदा उठाने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में पूछा गया, तो मंत्रालय ने निम्नवत प्रतिक्रिया दी:

> "पीटीए और एमईजी की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, एमएमएफ के बुनियादी इनपुट; पेट्रोरसायन क्षेत्र में वृद्धि/विस्तार के लिए एक बेहतर योजना आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए रसायन और पेट्रोरसायन विभाग एमओपी एंड एनजी और उद्योग के सहयोग से पीटीए और एमईजी सहित विभिन्न पॉलिमरों/पेट्रोरसायनों की मांग आपूर्ति अंतर को मिटाने के लिए एक भावी योजना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। यह योजना अगले **10-15** वर्षों में संभावित मांग-आपूर्ति परिदृश्यों और घरेलू मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए वर्तमान विकल्पों को रेखांकित करती है। इस योजना से पीटीए और एमईजी मूल्य श्रृंखला की घरेलू क्षमता के विकास के लिए आवश्यक विशिष्ट नीति तैयार करने में मदद मिल सकती है। हाल ही में सरकार ने नेफ्था (पेट्रोरसायनों के लिए बुनियादी कच्चा माल) पर सीमा शुल्क में कमी की है, इससे वस्त्र मूल्य श्रृंखला अर्थात् पीटीए और एमईजी (एमएमएफ के लिए) के बुनियादी निवेशों की वैश्विक लागत प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त करने में एक हद तक मदद मिल सकती है।
>
> आंकड़ों के अनुसार, एमएमएफ उद्योग के लिए कच्चे माल में भारत का हिस्सा **7.38%** है, जो हमें समग्र रूप से कच्चे माल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनाता है, लेकिन चीन की तुलना में समग्र हिस्सा बहुत ज्यादा नहीं है।"

23. तत्पश्चात, समिति ने पूछा कि क्या मानव निर्मित फाइबर के लिए कच्चे माल का उत्पादन उद्योग द्वारा इष्टतम रूप से किया गया था। इसके उत्तर में, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने साक्ष्य में निम्नवत जानकारी दी:

"उनकी क्षमता का केवल **70-80** प्रतिशत ही उपयोग किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि पीटीए का हमारे देश से निर्यात और आयात किया जा रहा है। चूंकि यह क्षेत्र लाइसेंस मुक्त और नियंत्रणमुक्त है, इसलिए छोटे उद्योगों को सही मूल्य मिलना चाहिए, यह देश की आवश्यकता है। साथ ही, इसमें शामिल उन बड़े उद्योगों के हितों की रक्षा करना भी आवश्यक है, जो कच्चे माल की आपूर्ति कर रहे हैं, जिन्होंने भारी निवेश किया है। समग्र रूप से राष्ट्र के हित पर ध्यान दिया जाना चाहिए।"

24. कच्चे माल अर्थात् पीटीए और एमईजी के विकास के लिए नीति तैयार करने के संबंध में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग के प्रतिनिधियों ने निम्नवत साक्ष्य प्रस्तुत किया:

"रसायन विभाग से पीटी और एमईजी विकास के बारे में, हम पेट्रोकेमिकल्स के विकास के लिए एक भावी योजना बना रहे हैं जिसमें एमईजी और पीटी भी शामिल हैं। अतः, उस भाग का अध्ययन किया जा रहा है। रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जा रहा है। यह लगभग प्रारूप चरण में है। तत्पश्चात्, आने वाली अवधि में, अर्थात् छह महीने या उससे अधिक समय में, नीतिगत निर्णय आंकड़ों और रिपोर्टों के आधार पर लिया जा सकता है। इसलिए, रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग से विशेष रूप से पीटीए और एमईजी के विकास के लिए की जा रही प्रगति यही है जो एमएनएफ बनाने के लिए बुनियादी निवेश हैं।"

25. घरेलू बाजार में मानव निर्मित फाइबर की उच्च कीमतों को रोकने/विनियमित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत जानकारी दी:

"मूल बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में पैराक्सिलीन और एथिलीन से लेकर एमएमएफ मूल्य श्रृंखला का प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे क्रमशः प्यूरीफाइड टेरेफ्थेलिक एसिड (पीटीए) और मोनो एथिलीन ग्लाइकोल (एमईजी) में परिवर्तित किया जाता है।

पीटीए और एमईजी से पॉलिएस्टर का उत्पादन होता है और इसे पीएफवाई में परिवर्तित किया जाता है और पीएसएफ भी यार्न होता है। यार्न की कताई से फैब्रिक बना रहा है। पीटीए और एमईजी की घरेलू क्षमता मौजूदा घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। तथापि वैश्विक स्तर पर और विशेष रूप से भारत में सिंथेटिक फाइबर (एमएमएफ) की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, पीटीए और एमईजी की पर्याप्त घरेलू क्षमता बनाने की आवश्यकता है।"

26. मानव निर्मित फाइबर क्षेत्र के निष्पादन पर महामारी और उसके बाद के लॉकडाउन के प्रभाव के उत्तर में मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

"कोविड-**19** महामारी ने कपड़ा और परिधान उद्योग के समग्र प्रदर्शन को प्रभावित किया है। महामारी की अवधि (**2020)** के दौरान, भारत से दुनिया के बाकी हिस्सों में टी एंड ए का निर्यात **2019** में **35.49** बिलियन अमरीकी डालर से घटकर **2020** में **29.61** बिलियन अमरीकी डालर हो गया, जिसमें (-) **16.57%** की नकारात्मक वृद्धि हुई। हालांकि, कपड़ा और परिधान का निर्यात **2021** में ठीक हो गया और **2020** की तुलना में **40.07%** की वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़कर **41.47** बिलियन अमरीकी डालर हो गया है।

कपड़ा उद्योग पर कोविड-**19** महामारी के दौरान विनाशकारी प्रभाव पड़ा। उद्योग को सहायता प्रदान करने की दृष्टि से, मंत्रालय ने एटीयूएफएस के तहत राजसहायता आवेदन और यूआईडी सृजन, मशीनरी की संस्थापना और सत्यापन के लिए अनुरोध दायर करने आदि के लिए योजना के दिशा-निर्देशों में निर्धारित समय-सीमा का विस्तार/क्षमा कर दिया है। तरलता प्रवाह को आसान बनाने के लिए उद्योग को राहत देने हेतु, बैंक गारंटी (बीजी) के खिलाफ आंशिक सब्सिडी जारी करने की योजना के तहत एक विकल्प भी शुरू किया गया था। इसके अतिरिक्त, जहां निरीक्षण पहले ही पूरा हो चुका था वहां राजसहायता के मामलों को निपटाने के लिए त्वरित प्रयास किए गए थे। परिणामस्वरूप, नीचे दी गई तालिका स्पष्ट रूप से निपटाने वाले दावों की संख्या में सुधार को प्रदर्शित करती है:

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
निपटाये गए दावों की संख्या	12	47	466	923	2239	2514	593*

*06.07.2022 की स्थिति के अनुसार"

27. समिति को अवगत कराया गया कि भारतीय एमएमएफ टीवीसी में मानव निर्मित फाइबर के बड़े स्तर के उत्पादक शामिल हैं जबकि डाउनस्ट्रीम उद्योग जिसमें कताई, बुनाई, निटिंग और प्रसंस्करण इकाइयां शामिल हैं, अत्यधिक एसएमई आधारित हैं। सूरत, लुधियाना, भीलवाड़ा, भिवंडी, इरोड और पानीपत जैसे क्लस्टर एमएमएफ वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रमुख समूहों के रूप में उभरे हैं। क्षेत्रीय हब उत्पाद क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं, जो उन्हें विशेषज्ञता और डाउनस्ट्रीम मूल्य श्रृंखला के एकीकरण के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने की अनुमति देते हैं।

28. वस्त्र उत्पादन श्रृंखला की आपूर्ति श्रृंखला के संबंध में मंत्रालय ने विभिन्न प्रक्रियाओं पर निम्नवत प्रकाश डाला है:

"<u>कताई</u>

"भारत में **100%** एमएमएफ और मिश्रित यार्न का उत्पादन करने की क्षमता है और **2018** में **6.5** मिलियन टन की संस्थापित क्षमता के साथ **4.0** मिलियन टन फिलामेंट यार्न और **3** मिलियन संस्थापित क्षमता के साथ **2.2** मिलियन टन एमएम स्टेपल फाइबर का उत्पादन किया है। साथ ही भारत ने कुल स्पन यार्न के **18%** हिस्सेदारी के साथ **1.1** मिलियन टन मिश्रित यार्न का भी उत्पादन किया है।

क्लस्टरों में लुधियाना और सूरत पॉलिस्टर और एक्रेलिक कताई के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरे हैं, सिलवासा, वापी और दमन टेक्सचराइजिंग इकाइयों के लिए उभरे हैं। इसी तरह, तमिलनाडु में कोयंबटूर और इसके आस-पास के क्षेत्र विस्कोस

रेयान के लिए और महाराष्ट्र में भिवंडी पॉलिस्टर/ विस्कोस मिश्रण उत्पादन के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरे हैं।

इस क्षेत्र के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों के बारे में, कताई उद्योग कम क्षमता उपयोग, दक्षता की कमी, उत्पादकता और उच्च अपव्यय: कुशल कार्यबल की अनुपलब्धता, उच्च एट्रिशन दर, उच्च विद्युत लागत और ऑटो डॉफिंग प्रणाली के बिना एसएमई इकाइयों द्वारा आधुनिकीकरण की कमी का सामना कर रहा है। यह क्षेत्र वस्त्र मूल्य श्रृंखला में सबसे विकसित क्षेत्र है और कुशल कार्यबल की पर्याप्त उपलब्धता सहित काफी आधुनिकीकृत है और कताई मिलों के समग्र क्षमता उपयोग में काफी सुधार हुआ है और इसी कारण कताई क्षेत्र को भी एटीयूएफएस योजना से बाहर रखा गया है।

<u>बुनाई (वीविंग)</u>

देश में लगभग **5.0** लाख बुनाई इकाइयां काम कर रही थीं और **50** क्लस्टरों में लगभग **22.56** लाख विद्युत करघों कार्यरत हैं। तथापि, यह उल्लेख किया जा सकता है कि कुल करघों में से केवल **1.05** लाख ही आधुनिक करघे हैं। समिति को यह भी अवगत कराया गया कि प्रौद्योगिकी उन्नयन की धीमी गति (**67%** करघे शटल करघे और **33%** शटल-रहित करघे हैं), कम उत्पादकता, कपड़े के विनिर्माण में दोष और स्केल अर्थव्यवस्था की कमी जैसी बाधाओं ने इस क्षेत्र को परेशान किया है। यह खंड प्रौद्योगिकी और स्केल अर्थव्यवस्था की कमी, उत्पाद की गुणवत्ता की कमी, उच्च अपव्यय और दोषपूर्ण कपड़े, गुणवत्ता और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन पर कम जोर देने, उत्पाद और प्रक्रिया विकास पर कम ध्यान देने, कम उत्पादन दक्षता और बुनाई खंड में निवेश की कमी आदि जैसी बाधाओं का सामना कर रहा है।

<u>बुनाई (निट्टिंग)</u>

तिरूपुर में लगभग **27000** बुनाई मशीनों, लुधियाना में लगभग **12000** बुनाई मशीनों के साथ-साथ कोलकाता में 2000 मशीनों वाली क्लस्टर आधारित यह उद्योग सबसे बड़ा मानव निर्मित फाइबर और मिश्रित कपड़े विनिर्माण क्लस्टर का गठन करता है इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा कई इकाइयां हैं जो विशेष रूप से बुने उत्पादों का निर्माण करती हैं। यह क्षेत्र कपास फाइबर की ओर अधिक उन्मुख है। मानव निर्मित फाइबर के विशाल अवसर होने के कारण, मानव निर्मित फाइबर और मिश्रण की ओर विनिर्माण आधार का पुनर्विन्यास पूर्ण क्षमता को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह एक अत्यधिक विकेंद्रीकृत और एसएमई आधारित है और इसमें स्केल अर्थव्यवस्था का अभाव है। इसके अलावा, वेफ्ट के बुने हुए कपड़ों का आयात **11.70%** के सीएजीआर तक बढ़ रहा है।

<u>प्रसंस्करण</u>

प्रसंस्करण क्षेत्र में साइजिंग, डी-साइज़िंग, ब्लीचिंग, डाइंग और फिनिशिंग शामिल है और यह वस्त्र का उच्चतम मूल्यवर्धन करता है। लगभग **90%** प्रसंस्करण इकाइयां एसएमई में हैं। कुल **5000** इकाइयों में से, केवल **200** इकाइयों ही फारवर्ड और बैकवर्ड मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत हैं।

यह क्षेत्र अपर्याप्त बुनियादी ढ़ांचे, बिजली और पानी का सामना कर रहा है। इसके अलावा, बहिस्त्राव शोधन संयंत्रों और कुशल जनशक्ति तथा पुरानी प्रौद्योगिकी ने इस उद्योग के विकास को बाधित कर दिया है जिससे गुणवत्ता और दक्षता निम्न हुई है। इसके अलावा, यह क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानदंडों, अनुपालन प्रणाली और बदलते फैशन की जरूरतों को अपनाने में धीमा है।

<u>परिधान और मेड अप्स</u>

संपूर्ण एमएमएफ वस्त्र मूल्य श्रृंखला में**,** इस क्षेत्र में सर्वाधिक मूल्यवर्धन होता है और यह अत्यधिक असंगठित है क्योंकि लगभग **85%** इकाइयां एमएसएमई से संबंधित हैं। अधिकांश इकाइयाँ जॉब वर्क के आधार पर काम कर रही हैं और गुणवत्ता एक प्रमुख मुद्दा है और उद्योग की विखंडित प्रकृति भी मूल्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है।

सूती वस्त्रों के निर्माण की ओर रुझान होने के कारण एमएम वस्त्रों पर अपेक्षा से कम ध्यान दिया जा रहा है।प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में विनिर्माण में दोष काफी अधिक है। गुणवत्ता और अनुपालन इस क्षेत्र की चिंताओं के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। प्रौद्योगिकी की अड़चनें दक्षता के लिए बाधाओं का कारण बन रही हैं और कुशल जनशक्ति की अनुपलब्धता इस क्षेत्र के मजबूत विकास में बाधा बन रही है।"

29. वस्त्र मूल्य श्रृंखला में अनुभव की जा रही विभिन्न बाधाओं को दूर करने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

"सरकार ने पांच वर्षों की अवधि में **10683** करोड़ रुपये के स्वीकृत परिव्यय साथ, वस्त्र के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को जूरी दी है। उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का उद्देश्य श में एमएमएफ परिधान और फैब्रिक्स और तकनीकी वस्त्र उत्पादों के त्पादन को बढ़ावा देना है ताकि वस्त्र उद्योग को आकार और पैमाने सिल करने, प्रतिस्पर्धी बनने और लोगों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजनकर्ता बनाने में सक्षम बनाया जा सके।

पीएम मित्र पार्क को निकटवर्ती क्षेत्र में आपूर्ति और मूल्य श्रंखला केएकीकरण की अनुमति प्रदान करते हुए सामान्य औद्योगिक बुनियादी ढांचेऔर सुविधाओं के साथ, जैसे कि स्थानांतरित करने के लिए तैयार शुरू करने के लिए तैयार (प्लग एंड प्ले सुविधाओं के माध्यम से), रणनीतिक स्थानों पर स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। उद्योग की लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए निकटतम बंदरगाह/ डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर/औद्योगिक कॉरिडोर/टेक्सटाइल क्लस्टर, विश्वसनीय बिजली आपूर्ति और पानी की उपलब्धता और अपशिष्ट जल निपटान प्रणाली के नए अच्छी कनेक्टिविटी के प्रमुख मानदंडों की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, इसका उद्देश्य इस क्षेत्र को मित्र पार्क में औरआसपास काम करने वालों और रहने वालों श्रमिकों और औद्योगिक इकाइयों दोनों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करना है।

पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं की कमी, दोषपूर्ण फैब्रिक्स, अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनुपालन न करना आदि जैसी कुछ बाधाओं को दूर करने के लिए, भारत सरकार

ने हाल ही में एमएमएफ क्षेत्र के लाभ के लिए पीएलआई और पीएम- मित्र योजनाएं शुरू की हैं।

साथ ही, सरकार घरेलू स्तर पर निर्मित वस्त्रों और आयातित वस्त्रों के लिए बीआईएस द्वारा विकसित भारतीय मानकों को अनिवार्य बनाने के लिए उत्पाद/मानक विशिष्ट गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी करने पर विचार कर रही है ताकि घरेलू मानकों के अनुपालन के साथ-साथ वस्त्रों के दोष मुक्त उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके।"

30. इन बाधाओं को दूर करने के लिए किए गए अन्य अतिरिक्त उपायों के संबंध में, मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया है:

"एटीयूएफएस के तहत, इकाईयों को प्रसंस्करण क्षेत्र में बेंचमार्क मशीनरी की स्थापना और संचालन के लिए **20.00** करोड़ रूपए की अधिकतम सीमा के साथ **10%** की दर से पूंजी निवेश सब्सिडी दी जाती है। एटीयूएफएस दिनांक **31.03.2022** तक वैध था। मंत्रालय ने प्रसंस्करण क्षेत्र सहित विभिन्न कमजोर कड़ियों के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने और वस्त्र मशीनरी के स्वदेशी विकास/निर्माण का समर्थन करने के लिए एटीयूएफएस के स्थान पर एक नई योजना की अवधारणा में हितधारकों के परामर्श की प्रक्रिया शुरू की है।

सीसीईए ने **30** अक्टूबर, **2013** को हुई अपनी बैठक में **12**वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान **500** करोड़ रुपये की कुल लागत से एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस) के कार्यान्वयन को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र को समुद्री, नदी और शून्य तरल निर्वहन (जेडएलडी) सहित उपयुक्त प्रौद्योगिकी के माध्यम से पर्यावरण मानकों को पूरा करने में सक्षम बनाना है और वस्त्र उद्योग को पर्यावरण के अनुकूल प्रसंस्करण मानकों और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने हेतु और वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य को प्रोत्साहित करने की सुविधा प्रदान करना है।

यह योजना प्रमुख प्रसंस्करण समूहों में निजी क्षेत्र के निवेश को उत्प्रेरित करने के लिए सामान्य बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए सरकारी सहायता प्रदान करेगी। प्रसंस्करण विकास पार्क ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दोनों क्षेत्रों में स्थापित किए

जाएंगे। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे मौजूदा वस्त्र प्रसंस्करण इकाइयों के उन्नयन के लिए या अपने राज्यों में नई प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा अनुशंसित उपयुक्त प्रस्तावों को परियोजना लागत का **25%** पूर्ति करने की प्रतिबद्धता के साथ मंत्रालय के विचारार्थ अग्रेषित करें। इस योजना के तहत अनुदान के रूप में भारत सरकार की सहायता परियोजना लागत के **50%** तक सीमित होगी, जिसमें शून्य तरल निर्वहन प्रणाली वाली परियोजनाओं के लिए **75** करोड़ रुपये और पारंपरिक उपचार प्रणाली वाली परियोजनाओं के लिए **10** करोड़ रुपये की सीमा होगी। परियोजना लागत केंद्र, राज्य, लाभार्थी, बैंक ऋण द्वारा क्रमशः **50:25:15:10** के अनुपात में वहन की जाएगी।"

चार. <u>मानव निर्मित वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए पहल</u>

31. समिति को चीन के **96** की तुलना में भारत के **74** मानव निर्मित फाइबर टी एंड ए निर्यात उत्पादों के रिवील्ड तुलनात्मक लाभ (आरसीए) से अवगत कराया गया। भारत जहां यार्न, फाइबर जैसे उत्पादों में प्रतिस्पर्धात्मक का लाभ ले रहा है, वहीं वियतनाम और बांग्लादेश की भांति चीन वस्त्र और परिधान जैसे मूल्य वर्धित उत्पादों में भी लाभप्रद स्थिति में है। बांग्लादेश और वियतनाम में निर्यात की वृद्धि का प्रमुख कारण भारत की अपेक्षा सस्ते श्रम की उपलब्धता, कम बिजली लागत हो सकते हैं। बुनाई, प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी बाधा भी भारत के वस्त्र उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। इसके अलावा, बांग्लादेश में कुशल और अकुशल दोनों कर्मियों के लिए प्रति घंटा मजदूरी दर, बिजली की लागत सस्ती है, वियतनाम कम बिजली लागत और बुनियादी ढांचे की लागत के कारण लागत प्रतिस्पर्धा में लाभप्रद स्थिति में है, जबकि चीन सस्ते कच्चे माल और पूंजी की कम लागत के मामले में बेहतर है।

32. प्रतिस्पर्धी देशों के बीच भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए किए गए उपायों के संबंध में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नवत जानकारी दी:

"वस्त्र उद्योग भारतीय वस्त्र इंजीनियरिंग उद्योग के पास प्रौद्योगिकी के न होने के कारण वस्त्र मशीनरी के अधिक आयात पर निर्भर है। मशीनरी के आयात पर उच्च निर्भरता भारतीय वस्त्र उद्योग को विश्व स्तर पर कम प्रतिस्पर्धी बनाने वाला एक कारक है। एटीयूएफएस/टीयूएफएस के प्रभाव आकलन अध्ययन ने अन्य बातों के साथ-साथ वस्त्र मशीनरी के स्वदेशी विकास और निर्माण को समर्थन देने की सिफारिश की है। नीति आयोग के डीएमईओ के माध्यम से किए गए प्रभाव आकलन अध्ययन और वस्त्र मशीनरी में अलग-अलग प्रौद्योगिकी अंतर विश्लेषण की सिफारिशों के आधार पर, वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण और स्वदेशी विकास/मशीनरी निर्माण के लिए 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के अनुरूप समर्थन जारी रखने हेतु एक नई योजना बनाने की प्रक्रिया हितधारकों के विचार-विमर्श के माध्यम से शुरू की गई हैं। इसके अलावा, भारत सरकार ने लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए, आरओडीटीईपी, पीएलआई, मित्र आदि जैसी कई योजनाएं शुरू की है। इसके बड़े पैमाने पर संचालन से लागत प्रतिस्पर्धा में सुधार होने की संभावना है।"

33. मामले पर विस्तार से बताते हुए, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने साक्ष्य के रूप में, निम्नवत जानकारी दी:

"यह एक तथ्य है कि हमारे पास आकार और पैमाने नहीं हैं। हमारे वस्त्र क्षेत्र में एमएसएमई का प्रभुत्व है। एक समय हमारी नीति ऐसी थी कि हमने इसे नहीं फैलाया। बुनाई मुख्य रूप से आज कहां होती है? हमारा असंगठित विद्युत करघा क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां बुनाई होती है। भारत में ऐसी कपड़ा मिलें बहुत कम हैं। बांग्लादेश में आकार और पैमाने बहुत बड़े हैं। मैं हाल ही में बांग्लादेश गया था और इसे स्वयं देखा। उनकी रणनीति थोड़ी अलग है। हमारे पास कच्चा माल है, हम कताई, बुनाई, परिधान तैयार करते हैं। उनका बहुत सारा सामान आयात किया जाता है। वे चीन, यहां तक कि भारत से भी बहुत सारे कपड़े आयात करते हैं, और फिर इसे कपड़ों में परिवर्तित करते हैं और उन्हें निर्यात करते हैं। मैं समझता हूं कि निवल निर्यात का आंकड़ा देखा जाना चाहिए। आप वस्त्रों में भी आयात करते हैं और फिर निर्यात करते हैं। हर कोई सिर्फ निर्यात का आंकड़ा

देखता है और कहता है कि बांग्लादेश इतना निर्यात कर रहा है, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। हमारे कपास का सबसे बड़ा आयातक बांग्लादेश है। वे हमसे सूती कपड़े का आयात भी अधिक करते हैं लेकिन वे हमारी तुलना में चीन से अधिक कपड़े आयात करते हैं। वे इसे परिधानों में परिवर्तित करते हैं और इसे निर्यात करते हैं। इसके अलावा उनका घरेलू बाजार बहुत बड़ा नहीं है। हमारे अपने घरेलू बाजार की आवश्यकता को भी वस्त्र उद्योग द्वारा पूरा किया जाना है। हम पहले ही इस वर्ष 44.3 बिलियन कवर कर चुके हैं जहां पहले चीन निर्यात कर रहा था।"

34. समिति ने पिछले तीन वर्षों के दौरान मानव निर्मित रेशों के लिए प्रमुख निर्यात गंतव्यों का विवरण जानने की इच्छा व्यक्त की थी। इसके उत्तर में, मंत्रालय ने निम्नवत सूचना प्रस्तुत की:

(बिलियन अमरीकी डालर में)

आयातक	2019	2020	2021
अमेरिका	**48.71**	**39.85**	**50.67**
जर्मनी	**20.87**	**19.43**	**21.52**
जापान	**17.68**	**15.22**	**15.71**
वियतनाम	**10.47**	**9.25**	**14.47**
फ़्रांस	**12.21**	**10.49**	**12.21**
यू के	**13.42**	**10.84**	**12.09**
चीन	**10.61**	**8.99**	**10.88**
स्पेन	**10.63**	**8.60**	**10.30**
इटली	**9.63**	**8.11**	**9.65**
द. कोरिया	**8.33**	**7.41**	**8.50**
शीर्ष दस	**162.55**	**138.18**	**166.01**
शेष विश्व	**152.50**	**131.51**	**166.89**
विश्व	**315.06**	**269.70**	**332.91**

35. मानव निर्मित फाइबर आधारित परिधान उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए उपायों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत जानकारी दी:

"केंद्र सरकार ने दिनांक **24** सितंबर **2021** को एमएमएफ परिधान, एमएमएफ फैब्रिक व्रत और तकनीकी वस्त्र उत्पादों के संवर्धन के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन रूम (पीएलआई) योजना की घोषणा की है।इस योजना के तहत कुल **64** परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। आवेदकों से अपेक्षित कुल निवेश **19,798** करोड़ रु. और **2,45,362** के प्रस्तावित रोजगार सृजन सहित **1,93,926** करोड़ रुपए का अनुमानित कारोबार है।

सरकार ने **7** पीएम मित्र पार्कों की स्थापना के लिए **21** अक्टूबर **2021** को वस्त्र मंत्रालय की अधिसूचना के तहत पीएम मित्र योजना की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य एक आत्मानिर्भर भारत का निर्माण करना और भारत को वैश्विक वस्त्र मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करना है। यह योजना वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए एकीकृत बड़े पैमाने पर और आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना सुविधा विकसित करने के लिए है। इससे लॉजस्टिक लागत में कमी होगी और भारतीय वस्त्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा। यह योजना भारत को निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और वैश्विक वस्त्र बाजार में स्वंय को मजबूती से स्थापित करने में सहायता करेगी। इन पार्कों को उन स्थलों पर स्थापित करने की परिकल्पना की गई है, जिनमें वस्त्र उद्योग के विकास के लिए अंतर्निहित शक्ति है और सफल होने के लिए आवश्यक लिकेंज हो। प्रत्येक पार्क का उद्देश्य **1** लाख प्रत्यक्ष और **2** लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन करना है।

देश में तकनीकी वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने की दृष्टि से, सरकार ने उच्चतम कारोबार वाले उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करके **2024** तक तकनीकी वस्त्रों में भारत के निर्यात को बढ़ाने और देश की विशेषीकृत उच्च शिक्षा और तकनीकी जनशक्ति का कौशल विकास दोनों के माध्यम से देश में एक मजबूत मानव संसाधन द्वारा **1480** करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ (वर्ष **2020-21** से वर्ष **2023-24** तक) **4** वर्षों की अवधि के लिए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम) के निर्माण को अनुमोदित किया है।

विभिन्न एफटीए के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच पर काम किया जा रहा है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझोते (भारत-यूएई सीईपीर पर दिनांक **18.02.2022)** पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सीईपीए से भारतीय वस्त्र और परिधानों के निर्यात को दावा मिलने की संभावना है। भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (इंडिया ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए) पर दिनांक **02.04.2022** को हस्ताक्षर किए गए। यह ईसीटीए ऑस्ट्रेलिया) को होम टेक्सटाइलर रेडीमेड गारमेंट्स, कार्पेट और फ्लोरिंग के भारतीय निर्यात को बढ़ावा दे सकता है। भारत वर्तमान में यूरोपीय संघ, ब्रिटेन कनाडा, इज़राइल और अन्य देशों/ क्षेत्र के साथ एफटीए पर बातचीत करने की प्रक्रिया में है।"

36. वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्त्र और परिधान निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता को बाधित करने वाली चुनौतियों/कारणों के बारे में एक विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

"बांग्लादेश, कंबोडिया, श्रीलंका आदि जैसे पड़ोसी प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में भारत यूरोपीय संघ यूके आदि जैसे कुछ बाजारों में टैरिफ नुकसान का सामना कर रहा है। सरकार अपनी मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव (एमएआई) योजना के तहत व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, क्रेता विक्रेता बैठकों आदि के आयोजन और भाग लेने के लिए वस्त्र और वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने में लगे विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) और व्यापार निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, कोविड- **19** महामारी के समय में वैश्विक बाजारों में अवसरों के लिए ईपीसी द्वारा विपणन के वैकल्पिक तरीके के रूप में वर्चुअल प्रदर्शनियाँ आयोजित की गई थी।वस्त्र उत्पादों को लागत प्रतिस्पर्धी बनाने और शून्य दर निर्यात के सिद्धांत को अपनाने के लिए सरकार ने **31** मार्च **2024** तक परिधान/गारमेंट और मेड अप्स के निर्यात पर राज्य और केंद्रीय और लेवियों कर (आरओएससीटीएल) की छूट को जारी रखा है। अन्य वस्त्र उत्पाद जो आरओएससीटीएल के अंतर्गत शामिल नहीं हैं. उन्हें अन्य उत्पादों के साथ निर्यात उत्पादों (आरओडीटीईपी) पर शुल्क और करो की छूट के तहत कवर किए गए हैं। कम उत्पादकता, पूंजी की

अधिक लागत, कच्ची सामग्री की लागत और भारत के टीएंडए उद्योग के समक्ष कुछ चुनौतियां, जिसे विभिन्न एफटीए/एमटीए के तहत उपलब्ध छूट का लाभ लेकर उचित नीतिगत पहलों और व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर आदि के माध्यम से समाधान किया जा सकता है।"

37. मंत्रालय ने आगे यह भी बताया:

"दिसंबर **2021** में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) बुलेटिन में प्रकाशित एक लेख के अनुसार, यूरोपीय संघ को भारत का परिधान निर्यात, जो परिधान निर्यात का सबसे बड़ा बाजार है, पिछले एक दशक में स्थिर हो गया है, जबकि बांग्लादेश, वियतनाम और कंबोडिया जैसे देशों में मजबूत वृद्धि देखी गई है। देखा गया है कि बांग्लादेश और कंबोडिया से परिधान निर्यात में तेजी से वृद्धि के लिए बेहतर प्रशुल्क उपचार एक प्रमुख योगदान कारक रहा है, विशेष रूप से वर्ष **2011** में इनपुट सोर्सिंग मानदंडों में छूट के बाद। समान प्रशुल्क संरचना का सामना करने के बावजूद वियतनाम द्वारा यूरोपीय संघ को परिधान निर्यात की मजबूत वृद्धि भारत में परिधान निर्यातकों द्वारा सामना किए जा रहे कुछ अंतर्निहित मुद्दे दर्शाती है। आरबीआई के लेख ने सुझाव दिया के भारत को अपने प्रमुख निर्यात स्थलों ईयू यूएस के साथ एफटीए को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने की जरूरत है ताकि प्रतिस्पर्धी नुकसान को रोका जा सके, जो वर्तमान में अपने प्रतिस्पर्धियों के लिए प्रशुल्क मुक्त पहुंच के कारण सामना कर रहा है। भारत वर्तमान में यूरोपीय संघ के साथ एफटीए पर बातचीत करने की प्रक्रिया में है।"

पांच. <u>व्यापार उपचारात्मक उपाय</u>

38. मंत्रालय ने बताया कि, किसी भी निर्यातक देश से अनुचित व्यापार प्रथाओं के प्रतिकूल प्रभाव से घरेलू उद्योग को एक समान अवसर प्रदान करने के लिए निम्नलिखित व्यापार उपचारात्मक उपाय किए गए थे:

- पाटनरोधी शुल्क **("एडीडी"):** आयातित सामानों के विरुद्ध लगाया गया शुल्क, जब आयातित सामानों का निर्यात मूल्य निर्यातक देशों के घरेलू बाजार में वस्तुओं के सामान्य मूल्य से कम होता है।
- प्रतिकारी शुल्क **("सीवीडी"):** निर्यातक देशों की सरकार द्वारा सब्सिडी की नीतियों, नियमों और विनियमों के कारण निर्यात को अनुचित लाभ को समाप्त करने के लिए शुल्क लगाया जाता है।
- रक्षोपाय शुल्क **("एसडी"):** आयात के अचानक वृद्धि से आयातक देश घरेलू उद्योग को नुकसान अथवा नुकसान की आशंका से बचाने के लिए आयातित वस्तुओं पर शुल्क लगाया जाता है।
- मात्रात्मक प्रतिबंध की सुरक्षा **("एसक्यूआर"):** एसक्यूआर, आयात के अचानक वृद्धि के कारण आयातक देश के घरेलू उद्योग को नुकसान/नुकसान की आशंका से बचाने के लिए वस्तुओं के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध के रूप में लगाए गए निवारक उपाय हैं।

39. जब वस्त्र मूल्य श्रृंखला के कच्चे माल पर पाटन-रोधी शुल्क पर अपने विचार बताने के लिए कहा गया तो मंत्रालय के प्रतिनिधि ने साक्ष्य के दौरान निम्नवत जानकारी दी:

> "वस्त्रों की मूल्य श्रृंखला खंडित है। हम पाते हैं कि इस क्षेत्र के लिए सबसे अच्छा हित क्या होना चाहिए, इसके अनुसार हर किसी के हित को कैसे मिलाया जाए। जैसे आप सिर्फ पीटीए के बारे में बात कर रहे थे। पहले पीटीए पर डंपिंग-रोधी ड्यूटी थी। पीटीए भारत में केवल तीन कंपनियों द्वारा निर्मित है। इसका निर्माण रिलायंस, आईओसीएल द्वारा किया जाता है और एमसीपीआई नामक एक कंपनी है

जो इसे बनाती है। इस तरह ये तीनों कंपनियां बनाती हैं, लेकिन इसके यूजर्स बहुत ज्यादा हैं। ये तीनों कंपनियां चाहेंगी कि इन तीनों कंपनियों को डंपिंग-रोधी ड्यूटी के खिलाफ सुरक्षा मिले। यह एक उद्योग के एक बहुत ही गहन निवेश का प्रकार है जब पीटीए, एमईजी उत्पादों की बात की आती है। अगर वे निवेश करते हैं तो वे चाहते हैं कि उन्हें सुरक्षा मिले, ताकि वे चीन से डंप न हों, क्योंकि उन्होंने चीन में बहुत क्षमता बनाई है। दूसरी समस्या यह हो जाती है कि जो उपयोक्ता उद्योग हैं, वे कहते हैं कि केवल दो-तीन निर्माता हैं, इसलिए वे एकाधिकार जैसा बाजार बनाते हैं। उनका कहना है कि हमारे यूजर्स के लिए बाहर से भी ऑर्डर करने की गुंजाइश होनी चाहिए। इन दोनों की रुचि को मिलाना बहुत महत्वपूर्ण है। हम केवल यह देखते हैं कि जनहित किसके लिए अधिक होगा। ऐसी हजारों कंपनियां हैं, जो प्रभावित होती हैं और यदि दो-तीन कंपनियों को संरक्षित करना है, तो व्यापार उपचार महानिदेशालय उनकी सिफारिश करता है।"

40. विशेष रूप से वस्त्र मूल्य श्रृंखला में पाटन-रोधी शुल्क और इन्वर्टेड शुल्क संरचना की वर्तमान स्थिति से अवगत कराने के उत्तर में मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

"वस्त्र मूल्य श्रृंखला पर जीएसटी दरों में कम ज्यादा के मुद्दे पर जीएसटी परिषद ने अपनी **39**वीं, **40**वीं और **43**वीं बैठकों में चर्चा की गई। **45**वीं बैठक में, जीएसटी परिषद ने फुटवियर और वस्त्र क्षेत्र में इंवर्टेड शुल्क संरचना को ठीक करने के लिए जीएसटी दर में बदलाव की सिफारिश की, और इसे दिनांक **01.01.2022** से लागू किया गया था।

तथापि, उद्योग ने दरों में बदलाव के खिलाफ अभ्यावेदन दिया और मामले को दिनांक **31** दिसंबर, **2021** को जीएसटी परिषद के समक्ष **46**वीं बैठक, में रखा गया, जहां परिषद ने **45** वीं जीएसटी परिषद की बैठक में सिफारिश किए गए वस्त्रों की दरों को बदलने के निर्णय को स्थगित किया। इसके परिणामस्वरुप, मानव निर्मित फाइबर सहित वस्त्र क्षेत्र में मौजूदा दरें **1** जनवरी, **2022** के बाद भी जारी हैं।

पाटनरोधी शुल्क की स्थिति निम्नवत हैं:

- सरकार ने दिनांक **12.08.2021** को सीमा शुल्क अधिसूचना सं .**44/2021** के तहत चीन और इंडोनेशिया से आने वाले अथवा निर्यातित बम्बू फाइबर को छोड़कर विस्कोस स्टेपल से पाटन रोधी शुल्क हटा दिया है।
- सरकार ने दिनांक **11.11.2020** की सीमा शुल्क और अधिसूचना सं . **136/2020** के तहत थाईलैंड से भारत में निर्यातित या उत्पन्न एक्रीलिक फाइबर से पाटनरोधी शुल्क हटा दिया है।
- सरकार ने दिनांक **2** फरवरी **2020** की सीमा शुल्क अधिसूचना **36/2020** के तहत देश में प्रतिस्पर्धी मूल्य पर कच्ची सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पीटीए (एमएमएफ फाइबर और यार्न के निर्माण के लिए एक प्रमुख कच्ची सामग्री) पर पाटन रोधी शुल्क हटा दिया, जो चीन गणराज्य ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, ताइवान, कोरिया आरपी और थाईलैंड से भारत के लिए उत्पन्न या निर्यात किया गया था।
- मानव निर्मित फाइबर क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए (एमएमएफ), सरकार ने पीटीए (टेरेपथेलिक एसिड प्यूरिफाइड), विस्कोस स्टेपल फाइबर और एक्रेलिक पर पाटन रोधी शुल्क हटा दिया है।
- यह उल्लेखनीय है कि जीएसटी दरें और उनका सुधार जीएसटी परिषद के दायरे में आता है जिसमें केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

41. मंत्रालय ने आगे भारतीय वस्त्र मूल्य श्रृंखला में वर्तमान जीएसटी संरचना को निम्नवत बताया है:

क्रम सं.	विवरण	**%** दर
1	सिंथेटिक मानव निर्मित फाइवर यानि पीटीए, एमईजी आदि का कच्चा माल	**12**
2	फाइबर	
	रेशम और जूट	**0**
	कपास	**5**

	मानव निर्मित फाइबर	**18**
3	यार्न	
	एमएमएफ यार्न	**12**
	अन्य	**5**
4	फैब्रिक	**5**
5	अपैरल एवं मेड-अप्स	
	कीमत 1000 रुपए से कम	**5**
	कीमत 1000 रुपए से ऊपर	**12**
6	वस्त्र मशीनरी	**18**

42. जब विशेष रूप से राज्य और केंद्रीय लेवी और कर (आरओएससीटीएल) योजना की छूट की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछा गया, तो मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

"केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परिधान और मेड-अप्स की प्रतिस्पर्धात्मकता को समर्थन और बढ़ाने के लिए सभी एम्बेडेड राज्य और केंद्रीय करों/लेवी में छूट प्रदान करने के लिए **7** मार्च **2019** को एक योजना को मंजूरी दी, जो कि दिनांक **31.03.2020** तक लागू थी। सरकार ने दिनांक **01.04.2020** से आरओएससीटीएल योजना को जारी रखा। इसके अलावा, सरकार ने वस्त्र मंत्रालय की दिनांक **08** मार्च, **2019** की अधिसूचना सं. **14/26/2016-**आईटी (खंड. **II)** द्वारा अधिसूचित दरों के साथ, आवधिक दरों की समीक्षा के अध्यधीन, दिनांक **01.01.2021** से **31.03.2024** तक परिधान / वस्त्र (अध्याय -**61** और **62)** और मेड-अप्स (अध्याय -**63)** के निर्यात पर आरओएससीटीएल की योजना को जारी रखने का निर्णय लिया। अन्य वस्त्र उत्पाद (अध्याय **61, 62** और **63** को छोड़कर) जो आरओएससीटीएल के अंतर्गत नहीं आते हैं, वे आरओडीटीईपी के तहत अधिसूचित दरों के अनुसार अन्य उत्पादों के साथ लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। आरओएससीटीएल का मूल्य दिनांक **01.01.2021** से **16.06.2022** तक शिपिंग बिल के लिए **9629** करोड़ रूपए है।**"**

43. इसके अलावा, निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) और राज्य और केंद्रीय लेवी और करों (आरओएससीटीएल) की छूट के विस्तार के मुद्दे पर, मंत्रालय ने कहा कि मार्च **2019** से प्रभावी राज्य और केंद्रीय लेवी और करों (आरओएससीटीएल) की छूट की योजना को परिधान/परिधानों और मेड-अप के निर्यात के लिए **31** मार्च **2024** तक जारी रखा जाएगा ताकि वस्त्र क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।

(i) उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन:

44. समिति को सूचित किया गया कि पीएलआई योजना का उद्देश्य देश में मानव निर्मित फाइबर परिधान और कपड़े और तकनीकी वस्त्र उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देना है ताकि वस्त्र उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनने हेतु साइज एण्ड स्केल को प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके और लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें।

मंत्रालय ने आगे बताया कि सरकार ने देश में एमएमएफ अपैरल, एमएमएफ फैब्रिक्स तथा तकनीकी वस्त्र उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, **10,683** करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय के साथ वस्त्र के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना अनुमोदित की हैं। चयनित कंपनियां न्यूनतम निवेश और न्यूनतम/वृद्धिशील कारोबार प्राप्त करने पर प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्र होंगी। इस योजना के दो भाग हैं: भाग-**1** और भाग-**21** योजना भाग-**1** के अंतर्गत वर्ष-**1** में अपेक्षित टर्नओवर प्राप्त करने पर **15%** प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। योजना के भाग-**2** के अन्तर्गत वर्ष-**1** में अपेक्षित टर्नओवर प्राप्त करने पर **11%** प्रोत्साहन राशि जायेगी। योजना के दोनों भागों के अंतर्गत प्रोत्साहन वर्ष-**2** से लेकर वर्ष **5** तक प्रत्येक वर्ष **1%** तक कम किया जाएगा।

45. उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए, मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने साक्ष्य में इस प्रकार बताया कि:

"यह मूल रूप से एमएमएफ, परिधान और कपड़े के उत्पादन को बढ़ावा देने के है। जब हम परिधान और कपड़ों के लिए एक बाजार बनाते हैं, इसके उत्पादन में वृद्धि करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से निर्मित फाइबर बढ़ेगा। इस तरह पूरी योजना की परिकल्पना की गई। आकार और पैमाने को प्राप्त करने और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने के साथ-साथ रोजगार के विशाल अवसर पैदा करने के लिए।

इसके तहत वर्ष **2021** में कैबिनेट ने **10683** करोड़ रुपये के योजना परिव्यय को मंजूरी दी थी, जिसे पांच साल में लागू किया जाएगा। इसमें हमारे पास बहुत सारे आवेदन आए हैं, जिनमें से हमने भी चयन किया है। उन चयनित उम्मीदवारों में कुल प्रस्तावित निवेश **19798** करोड़ रुपये है। यदि हम आगे विश्लेषण करते हैं कि आवेदन कैसे आए हैं, तो हमारी योजना के वास्तव में दो हिस्से थे - एक **300** करोड़ रुपये के न्यूनतम निवेश के साथ और दूसरा **100** करोड़ रुपये के निवेश के साथ। भाग-**1** में, हमारे पास **14** लोग हैं जो प्रस्ताव कर रहे हैं कि विभिन्न खंडों में उद्योगों की स्थापना की जाएगी। उनके पास परिधान, कपड़े और तकनीकी वस्त्र भी हैं। टेक्निकल टेक्सटाइल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक बड़ा उभरता हुआ क्षेत्र है, जिसमें मानव निर्मित फाइबर का भरपूर उपयोग होगा। हमारे पास तकनीकी वस्त्रों के लिए एक मिशन भी है - तकनीकी वस्त्र मिशन। इसके अलावा इसमें मल्टीपल सेगमेंट भी दिए गए हैं। इसके साथ ही **100** करोड़ रुपये के निवेश वाले करीब **50** प्रस्ताव हमारे पास आए हैं, जिन पर सहमति बन गई है। इस योजना में एक और आवश्यकता थी कि आप एक नई कंपनी शुरू करेंगे और फिर इसमें काम करना शुरू कर देंगे। अगर सब कुछ हुआ भी है तो करीब 40 के लिए अप्रूवल लेटर भेजे गए हैं और करीब 500 करोड़ रुपये का निवेश भी आ चुका है। अभी तक काफी प्रगति हुई है। यदि हम पीएलआई प्रस्तावों को देखें कि वे राज्यवार कैसे चल रहे हैं, तो सभी राज्यों में बहुत कुछ है, लेकिन आप देखेंगे कि हमारे पास मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल आदि जैसे कुछ राज्यों में अधिक प्रस्ताव हैं। इस तरह से हमारा उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन निवेश दिखता है।"

46. यह बताते हुए कि **01.01.2022** से **28.02.2022** तक वेब पोर्टल के माध्यम से **67** आवेदन प्राप्त हुए थे और सचिव (वस्त्र) की अध्यक्षता वाली चयन समिति द्वारा **19,798** करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश वाले **64** आवेदकों का चयन किया गया था, मंत्रालय ने चयनित आवेदकों के लिए अनुमानित परिणामों को निम्नानुसार प्रस्तुत किया:

(रुपए करोड़ में)

लक्ष्य वृत्तखंड	**आवेदनों की संख्या**	**विकास प्रक्रिया काल में प्रस्तावित निवेश**	**प्रस्तावित कुल निवेश**	**प्रस्तावित रोजगार**	**अधिसूचित उत्पादों का अनुमानित टर्नओवर**	**प्रस्तावित कुल प्रोत्साहन व्यय**
भाग – 1 (न्यूनतम निवेश 300 करोड़ रू.)	**14**	**8,179**	**10,518**	**98,088**	**93,656**	**3,589**
एमएमएफ परिधान	**1**	**307**	**357**	**25,999**	**5,553**	**230**
एमएमएफ कपड़ा	**2**	**728**	**1,039**	**3,625**	**11,330**	**463**
तकनीकी वस्त्र	**4**	**3,600**	**3,829**	**3,436**	**35,458**	**1,236**
विभिन्न वृत्तखंड	**7**	**3,543**	**5,292**	**65,028**	**41,315**	**1,661**
भाग – 2 (न्यूनतम निवेश 100 करोड़ रू.)	**50**	**7,211**	**9,280**	**1,47,274**	**1,00,270**	**2,739**
एमएमएफ परिधान	**10**	**1,338**	**1,709**	**50,994**	**18,573**	**506**

एमएमएफ कपड़ा	**6**	**893**	**1,095**	**6,489**	**12,309**	**331**
तकनीकी वस्त्र	**14**	**2,155**	**2,385**	**15,240**	**31,521**	**846**
विभिन्न वृत्तखंड	**20**	**2,824**	**4,090**	**74,551**	**37,866**	**1,056**
कुल योग	**64**	**15,390**	**19,798**	**2,45,362**	**1,93,926**	**6,328**

47. जब परियोजनाओं के राज्य-वार वितरण और अनुमोदित आवेदनों के लिए प्रस्तावित कुल निवेश के बारे में पूछा गया, तो समिति को निम्नलिखित आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे:

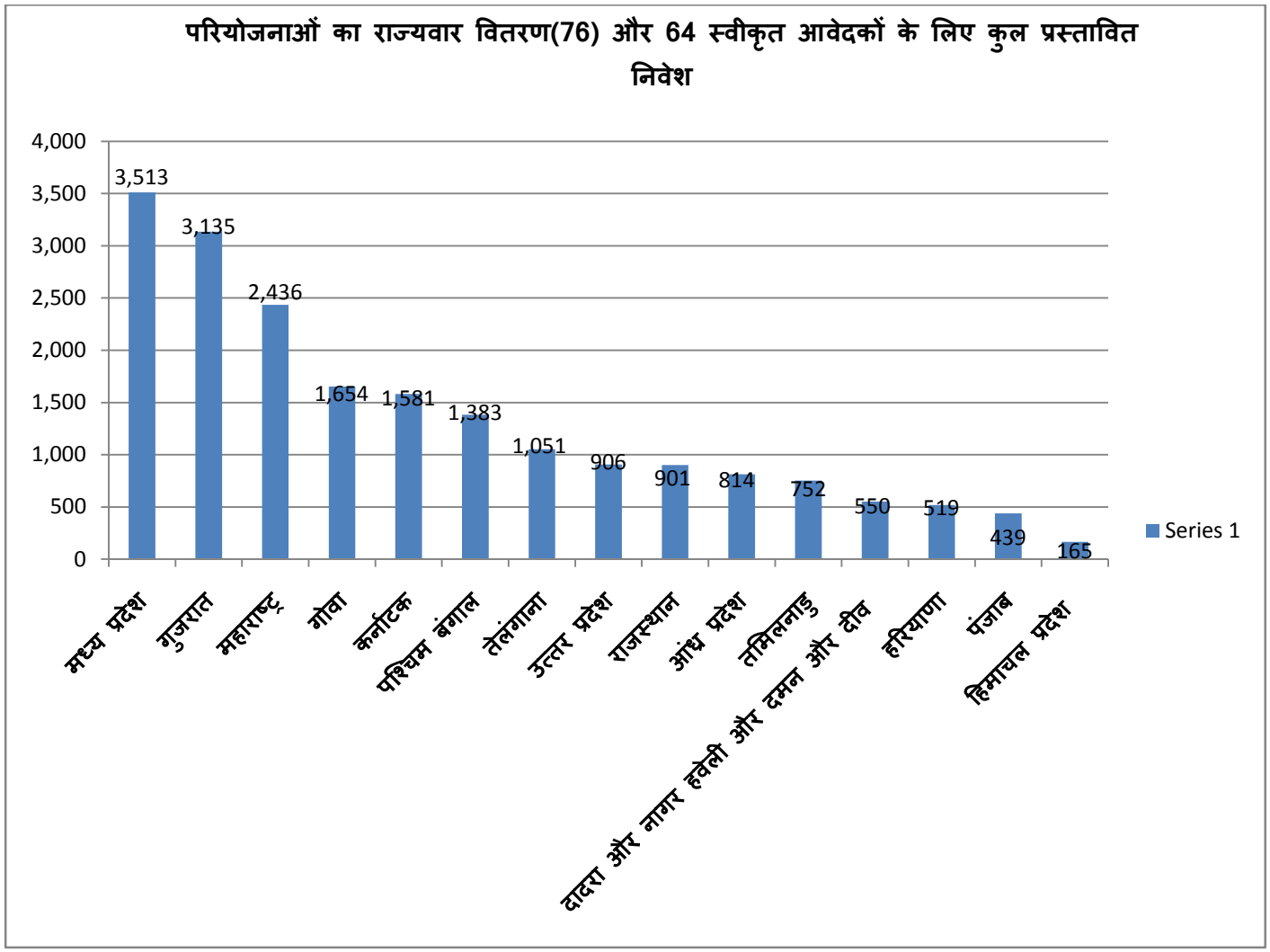

नोट- 10 **आवेदकों ने विभिन्न राज्यों में परियोजनाओं स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। ऐसे मामलों में प्रस्तावित प्रस्तावित निवेश को प्रस्तावित राज्यों के बीच बराबर वितरित किया गया है।**

(ii) <u>प्रौद्योगिकी उन्नयन</u>

48. वस्त्र उद्योग में जीर्ण-शीर्ण मशीनरी के तकनीकी उन्नयन/आधुनिकीकरण में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:

"वस्त्र मंत्रालय वस्त्र क्षेत्र में उत्पादकता, गुणवत्ता, निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष **1999** से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) क्रियान्वित कर रहा है। यह योजना वस्त्र उद्योग जोकि विभिन्न क्षेत्रों में अप्रचलित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है जिससे वह वैश्विक बाजार में गैर-प्रतिस्पर्धी बन रहा है, में प्रौद्योगिकी अप्रचलन को दूर करने पर लक्षित है। टीयूएफएस ने पात्र निवेशों पर सब्सिडी दावों के पुनर्भुगतान द्वारा अधिसूचित ऋणदाता एजेंसियों के माध्यम से एक ऋण संबंधी योजना के रूप में शुरूआत की थी। वर्ष **2015** तक टीयूएफएस के विभिन्न संस्करण क्रियान्वित किए गए हैं और जनवरी, **2016** में यह योजना संशोधित की गई और एटीयूएफएस के रूप में शुरू की गई। एटीयूएफएस के तहत, बेंचमार्क की गई मशीनरी को इंस्टॉल करने और कार्यशील करने के लिए एकमुश्त पूंजीगत निवेश सब्सिडी (सीआईएस) प्रदान की जाती है। एटीयूएफएस के तहत, अपनी इकाईयों में बेंचमार्क की गई प्रौद्योगिकी के शटलरहित करघे इंस्टॉल करने वाले उद्यमियों को **10%** पूंजीगत निवेश सब्सिडी प्रदान की जाती है। बुनाई क्षेत्र के लिए दिनांक **31** मार्च, **2022** तक एटीयूएफएस के तहत पोर्टल में **23,182** करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश वाले कुल **8,370** सब्सिडी आवेदन पंजीकृत किए गए हैं।

टीयूएफएस का एक प्रभाव आंकलन डीएमईओ, नीति आयोग द्वारा संचालित किया गया था। प्रभाव आंकलन अध्ययन और प्रौद्योगिकी अंतराल विश्लेषण की अनुशंसा के आधार पर मंत्रालय वस्त्र क्षेत्र में विभिन्न भागों में आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने और साथ ही भारत में वस्त्र मशीनरी के स्वदेशी विकास/निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना की संकल्पना तैयार कर रहा है।

(iii) <u>तकनीकी वस्त्र</u>

49. समिति को सूचित किया गया कि तकनीकी वस्त्र देश में उबरते हुए क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है और सभी क्षेत्रों और गतिविधियों में इसके उपयोग कि त्वरित वृद्धि के कारण यह लगातार आधार मजबूत कर रहा है। तकनीकी वस्त्रों को सौन्दर्य के बजाय कार्यात्मक निष्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले औद्योगिक वस्त्रों के रूप में परिभाषित किया गया है। अनुप्रयोगों के आधार पर, तकनीकी वस्त्र फ़ाइबर, यार्न, वस्त्र से

लेकर परिधान तक किसी भी रूप में परिवर्तनीय की जा सकते हैं। इन उत्पादों को कृषि, चिकित्सा, औद्योगिक आदि क्षेत्रों में काफी उपयोग है। प्रयोग के आधार पर, तकनीकी वस्त्रों को मोटे तौर पर 12 श्रेणियों अर्थात अग्रोटेक, बिल्डटेक, क्लॉथटेक, जियोटेक, इंदुटेक, मेडिटेक, मोबिलटेक, एकोटेक, पैकटेक, प्रोटेक, और स्पोर्टटेक में वर्गीकृत किया जाता है।

50. जहां तक तकनीकी वस्त्रों के लिए बाजार में वृद्धि का संबंध है**,** मंत्रालय ने अवगत कराया कि**,** यह क्षेत्र 13% सीएजीआर की दर से बढ़ रहा है और 2019-20 में इसका अनुमानित आकार 18.89 बिलियन डॉलर था**,** जिसमें से तकनीकी वस्त्रों के वैश्विक बाजार में भारत का हिस्सा लगभग 5% है। इसके अलावा**,** चूंकि तकनीकी वस्त्रों के विनिर्माण के लिए 85% से अधिक कच्चे माल मानव निर्मित फाइबर वस्त्रों से प्राप्त होते हैं**,** इसलिए इन उद्योगों की वृद्धि मानव निर्मित फाइबर वस्त्र उद्योगों से अत्यधिक सहसंबद्ध है। मंत्रालय ने आगे कहा कि तकनीकी वस्त्रों का निर्यात 2009 में 0.7 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2019 में 1.92 बिलियन डॉलर और 2021 में 2.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है**,** जिसमें 12.16% सीएजीआर है और उम्मीद है कि तकनीकी वस्त्रों का निर्यात 2030 तक बढ़कर 15.83 बिलियन डॉलर हो सकता है।

51. तकनीकी वस्त्रों के समग्र संवर्धन में तेजी लाने के लिए किए गए उपायों के बारे में बताने के लिए कहे जाने पर**,** मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:

> भारत सरकार ने **4** वर्ष **(2020-21** से **2023-24** तक**)** की अवधि के लिए **1480** करोड़ रुपए के परिव्यय से राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के सृजन हेतु प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एनटीटीएम **(i)** कार्बन**,** नाइलॉन-**66,** ग्लास**,** अरामिड और अन्य उच्च प्रौद्योगिकी पॉलीमर्स से विशेष फाइबर्स के अनुसंधान और नवप्रवर्तन तथा स्वदेशी विकास पर केंद्रित होगा; विभिन्न अनुप्रयोग क्षेत्रों में जियो-टेक्सटाइल**,** एग्रो-टेक्सटाइल**,** मेडिकल टेक्सटाइल**,** संरक्षी वस्त्र और तकनीकी वस्त्र के अन्य भागों के प्रयोग को बढ़ायेगा। **(ii)** उपयोगकर्ताओं में जागरूकता लाएगा**,** बड़े स्तर के निवेश लाएगा और हाई-एंड तकनीकी वस्त्र उत्पादों को बढ़ावा देगा **(iii)** वर्ष **2024** तक सर्वाधिक कारोबार वाले उत्पादों पर ध्यान देकर भारत के तकनीकी

वस्त्र के निर्यात को बढ़ायेगा **(iv)** देश में विशिष्ट उच्चतर शिक्षा और देश की तकनीकी श्रम शक्ति के कौशल विकास दोनों के माध्यम से सशक्त मानव संसाधन सृजित करेगा।

मंत्रिमंडल ने भारत के विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने और निर्यात वृद्धि-आत्मनिर्भर भारत के लिए **10** प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दे दी है। इन उत्पादों के लिए **5** वर्ष की अवधि में **10,683** करोड़ रुपए के अनुमोदित वित्तीय परिव्यय से वस्त्र उत्पाद-एमएमएफ क्षेत्र और तकनीकी वस्त्रों को **10** प्रमुख क्षेत्रों में शामिल कर लिया गया है। इस योजना के तहत कुल **64** परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। **245362** के प्रस्तावित रोजगार सृजन के साथ आवेदकों से अपेक्षित कुल निवेश **19798** करोड़ रुपए है और अनुमानित कारोबार **193926** करोड़ रुपए है।

- **मंत्रालय ने सरकारी खरीदारी हेतु 10 क्षेत्रों में तकनीकी वस्त्र मदों के लिए न्यूनतम स्थानीय खरीद कंटेंट निर्धारित करते हुए दिनांक 23.10.2019 को सार्वजनिक खरीद (वरीयत: मेक इन इंडिया) आदेश जारी किया है।**
- **भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने 377 तकनीकी वस्त्र उत्पादों के लिए मानक विकसित किए हैं।**
- **संबंधित क्षेत्रों के निवेशकों को परीक्षण सुविधाएं, प्रशिक्षण, इंक्यूबेशन केंद्र सुविधाएं, सूचना केंद्र और प्रोटोटाइप विकास सुविधाएं प्रदान करने के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करने हेतु तकनीकी वस्त्रों पर प्रौद्योगिकी मिशन के तहत 8 सेंटर ऑफ एक्सिलेंस (सीओई) स्थापित किए गए हैं।**
- **नए उद्यमियों को वाणिज्यिक स्तर पर ग्रेफेन 2डी कार्बन, नैनो-कोटेड फाइबर और फैब्रिक जैसे उच्च परफॉर्मेंस फाइबर का नवप्रवर्तन करने के लिए संबंधित सीओई/आईआईटी द्वारा निदेशित मार्गदर्शन के साथ 'प्लग एंड प्ले' प्रदान करने के लिए तकनीकी वस्त्र पर प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमटीटी) कुल 10 एफआईसी स्थापित किए गए हैं।**
- **वस्त्र आयुक्त, डीजीएफटी के कार्यालय की अनुशंसा के आधार पर भारत सरकार ने दिनांक 15/01/2019 को 207 एचएसएन (हारमोनाइज्ड सिस्टम नोमिकिलेचर) को अधिसूचित किया है।**

- **आईआईटी दिल्ली ने "भारत में तकनीकी वस्त्र उद्योग; अवसर और चुनौतियां" के रूप में तकनीकी वस्त्र क्षेत्र शीर्षक पर नया बेसलाइन अध्ययन 2020 संचालित किया है।**

52. वस्त्र उत्पादों के बड़े पैमाने पर आयात को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत स्पष्टीकरण दिया:

सरकार तकनीकी वस्त्र मदों हेतु मानक विकसित करने के लिए कार्यशील है। ताकि विश्व स्तरीय गुणवत्ता उत्पाद स्वदेशी रूप में निर्मित किए जा सकें। उच्च स्तरीय पुनरीक्षण के पश्चात् **107** तकनीकी वस्त्र मदों को कृषि, चिकित्सा, प्राटेक्ट (संरक्षी वस्त्र) और जियो टेक्सटाइल्स में गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) के तहत लाया जा रहा है इससे विश्व भर में तकनीकी वस्त्र मदों के बड़ी मात्रा में आयात पर नियंत्रण होगा।"

53. समिति ने यह जानना चाहा कि मानव निर्मित फाइबर उत्पादों ने तकनीकी वस्त्रों कि वृद्धि को किस हद तक बढ़ाया है। इसके उत्तर में, मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:

एमएमएफ 'तकनीकी वस्त्र' उत्पादों की आधारशिला है। मूलरूप से, एमएमएफ डे टू डे अपैरल से हाईटेक तकनीकी वस्त्र फैब्रिक तक अपैरल की किस्मों को उत्पादित करने के लिए उच्च निष्पादन/कार्यशील फाइबर के साथ-साथ सामान्य ग्रिड पॉलिमेरिक फाइबर से मिलाया जाता है। एमएमएफ से बने इन उत्पादों का अन्य के साथ-साथ स्वास्थ्य, निर्माण, ऑटोमोबाइल, एयरोस्पेस, खेल, रक्षा और कृषि जैसे कई गैर-पारंपरिक वस्त्र उद्योगों में बहुतायत में एंड-यूज अनुप्रयोग है। प्रौद्योगिकी प्रगति को ध्यान में रखते हुए भारत ने भी इन तकनीकी वस्त्रों के अनुसार होने में अपने उद्योगों को इनके अनुरूप बना लिया है।

भारत में एमएमएफ उद्योग पॉलिस्टर्स, विस्कोस, नायलॉन एवं एक्रीलिक सहित सिंथेटिक फाइबर के लगभग सभी प्रकारों का उत्पादन करता है। वर्तमान में हम पॉलिस्टर्स और विस्कोस दोनों के विश्व के सर्वश्रेष्ठ उत्पादकों में से एक हैं। भारत में एमएमएफ वस्त्र उद्योग कच्ची सामग्री से गारमेंटिंग तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में

आत्मनिर्भर है। हमारे फैब्रिक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हैं और उनकी उत्कृष्ट कारीगरी, रंगों, कम्फर्ट, टिकाऊपन अन्य तकनीकी गुणों के कारण जाने जाते हैं।"

54. तकनीकी वस्त्रों के संवर्धन और बाजार विकास के लिए शुरू किए गए उपायों के संबंध में, मंत्रालय ने निम्नानुसार प्रस्तुत किया कि:

- **दिनांक 12 मार्च, 2022 को सीआईआई के साथ समन्वय से तकनीकी वस्त्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।**
- **भारत में तकनीकी वस्त्र उद्योग: अवसर और चुनौतियों पर आईआईटी दिल्ली के समन्वय से एक बेसलाइन अध्ययन 2020 विकसित किया गया।**
- **दिनांक 24 मार्च, 2022 को उपयोगकर्ता मंत्रालयों और विनिर्माताओं के साथ जियो टेक्सटाइल की अनुप्रयोग क्षेत्रों के विस्तार पर उच्चस्तरीय अंतरमंत्रालयी बैठक आयोजित की गई।**
- **तकनीकी वस्त्रों हेतु मानक: भारत हेतु मानकों का निर्माण @2047 पर दिनांक 10 जून, 2022 को फिक्की के समन्वय से राष्ट्रीय कान्क्लेव का 5वां संस्करण आयोजित किया गया।**
- **दिनांक 29 जून, 2022 को एग्रो टेक्सटाइल्स, मेडिकल टेक्सटाइल्स, संरक्षी वस्त्रों और जियो टेक्सटाइल्स में गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) के तहत आने वाले 107 तकनीकी वस्त्र मदों की सूची का पुनरीक्षण करने के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई।**
- **उपयोगकर्ता मंत्रालयों और विभागों में तकनीकी वस्त्र उत्पादों का प्रयोग अनिवार्य करने पर कई बैठकें और विचार-विमर्श किए गए हैं।**
- **तकनीकी वस्त्र के प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए अब तक, 45 से अधिक संस्थानों के 350 से अधिक शिक्षाविदों की भागीदारी से 12 से अधिक अनुसंधान और विकास आउटरीच वेबिनार आयोजित किए गए हैं।**

55. तकनीकी वस्त्र उद्योग में प्रौद्योगिकी ज्ञान को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नवत जानकारी दी:

- भारत सरकार ने तकनीकी वस्त्र क्षेत्रों के लिए स्वचालित रूट के तहत **100%** तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी है।
- भारत सरकार ने अनुसंधान, नवप्रवर्तन और विकास के लिए **1000** करोड़ रुपए और शिक्षा, प्रशिक्षण और राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम) के तहत कौशल प्रशिक्षण हेतु**400** करोड़ रुपए की अनुमति दी है।

56. तकनीकी वस्त्रों की आयात निर्भरता की व्यापकता के बारे में एक विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में, और क्या पारंपरिक वस्त्र उद्योग मुख्य रूप से निर्यात गहन था, मंत्रालय ने निम्नानुसार उत्तर दिया:

"वर्ष **2020-21** में भारतीय तकनीकी वस्त्र बाजार का मूल्य **20.5** बिलियन अमरीकी डॉलर था। **20.5** बिलियन अमरीकी डॉलर के कुल तकनीकी वस्त्र बाजार में वर्ष **2020-21** के लिए आयात निर्भरता **1.71** बिलियन अमरीकी डॉलर है अर्थात् संपूर्ण बाजार का लगभग **8%** है। दूसरी तरफ, भारत का निर्यात, इसी अवधि के दौरान **7.8%** की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए **2.21** बिलियन अमरीकी डॉलर रहा। भारत एक नेट-एक्सपोर्ट सरप्लस राष्ट्र है। इसके अलावा, भारत केवल विशेष उच्च मूल्य के तकनीकी वस्त्र उत्पादों का आयात करता है। सेफ्टी एयर बैग्स; पॉलियूरेथिन से युक्त लेमिनेट किए हुए फैब्रिक्स, प्लास्टिक और पीवीसी; टायर कॉर्ड; सेनेटरी पैड्स; हाई टेनेसिटी यार्न; ग्लास फाइबर और नॉन वुवन्स प्रमुख मदें हैं जो आयात की जाती हैं। भारत सरकार ने भारत में उच्च मूल्य तकनीकी वस्त्र उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक और रणनीतिक तकनीकी वस्त्र उत्पादों हेतु निर्माण सामर्थ्य और निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिए वस्त्र हेतु पीएलआई योजना, अवसंरचना तथा अपरिहार्य तकनीकी वस्त्र उत्पादों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला पारिस्थितिकी को बढ़ावा देने के लिए पीएम मित्र योजना और स्वदेशी रणनीतिक और उच्च मूल्य तकनीकी वस्त्र उत्पादों के विकास को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन सहित कई योजनाएं

शुरू की हैं। ये पहलें स्वदेशी उत्पादों को बेहतर बनायेंगे, आयात को कम करेंगे, इससे निर्यात बढ़ेगा और भारत तकनीकी वस्त्र के एक निर्माण हब के रूप में स्थापित होगा।"

छह. <u>एमएमएफ क्षेत्र को सुदृढ करने हेतु अन्य उपाय</u>

57. लघु/मझोले उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और निजी उद्यमों को अपनी मानव निर्मित फाइबर वस्त्र इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रवर्तन प्रदान करने हेतु किए गए/प्रस्तावित अतिरिक्त उपायों के संबंध में मंत्रालय ने निम्नवत जानकारी दी:

"समग्र मूल्य श्रृंखला में और एमएमएफ सहित समग्र फाइबर में वस्त्र (कताई को छोड़कर) के विभिन्न क्षेत्रों में बेंचमार्क मशीनरी की खरीद के लिए देश भर में स्थित इकाइयों को क्रेडिटलिंक्ड कैपिटल इनवेस्टमेंट सब्सिडी (सीआईएस) प्रदान करने के लिए संशोधित टीयूएफएस (एटीयूएफएस), एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना, की शुरुआत के साथ जनवरी, **2016** में एक प्रमुख नीतिगत सुधार किया गया था। यह योजना मार्च, **2022** तक क्रियान्वित की जा रही थी ताकि सरकारी सहायता से परिसंपत्ति निर्माण पर आश्वासन के साथ प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए सहायता सुनिश्चित की जा सके। वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने सहायक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एक नीति तैयार की ताकि उद्योग का सामंजस्यपूर्ण विकास सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा, यह कई इकाइयों को एक स्थान पर लाने में भी मदद करेगा जो एसएमई की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता को सक्षम बनाएगी और बढ़ावा देगी, जिसे एक सामान्य बुनियादी ढांचे में होस्ट किया जाएगा।

इसके पश्चात, सभी हितधारकों के साथ परामर्श के बाद, एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) जुलाई, **2005** में शुरू की गई थी ताकि उद्योग को तत्कालीन अपैरल पार्क निर्यात योजना (एपीईएस) और वस्त्र केंद्र अवसंरचना विकास योजना (टीसीआईडीएस) का विलय करके अपनी वस्त्र इकाइयां स्थापित करने के लिए अत्याधुनिक विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचागत सुविधाएं प्रदान की जा सकें। एसआईटीपी के प्रमुख उद्देश्य उद्योग को अपनी वस्त्र इकाइयों की स्थापना के

लिए विश्व स्तरीय अत्याधुनिक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना और अंतर-राष्ट्रीय पर्यावरण और सामाजिक मानकों को पूरा करने के लिए वस्त्र इकाइयों की सुविधा प्रदान करना है, क्योंकि उस समय **96%** वस्त्रों का उत्पादन करने वाली एसएमई , उपभोक्ता जरूरतों और वरीयताओं के आधार पर उत्पादों की एक श्रृंखला के साथ गुणवत्ता वाले वस्त्रों की बढ़ती मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं थे। इसके अलावा, मौजूदा स्थान में विस्तार की लागत, किसी भी वस्त्र क्षेत्र के मौजूदा कलस्टरों में भूमि की बढ़ी हुई लागत को देखते हुए अधिक है।"

58. मानव निर्मित फाइबर क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपायों के बारे में विशेष रूप से पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नानुसार उत्तर दिया:

"सरकार ने, देश में व्यवसाय सुगमता को बढ़ावा देने और विनिर्माण में **"**शून्य प्रभाव और शून्य दोष**"** के साथ **'**मेक इन इंडिया**'** के माध्यम से रोजगार सृजन और निर्यात को बढ़ावा देने के विज़न को प्राप्त करने के लिए जनवरी **2016** में संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) को शुरुआत की थी जिसके तहत बेंचमार्क मशीनरी की स्थापना के लिए इकाइयों को क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल इनवेस्टमेंट सब्सिडी (सीआईएस) प्रदान की जाती है। योजना को दिनांक **31.03.2022** तक अनुमोदित किया गया था।

नीति आयोग के डीएमईओ ने एटीयूएफएस/टीयूएफएस के प्रभाव का आकलन किया। नीति आयोग द्वारा प्रभाव आकलन अध्ययन की सिफारिशों के आधार पर, प्रौद्योगिकी अंतराल का एक अलग मूल्यांकन और वस्त्र मशीनरी में उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण घटक जो स्वदेशी रूप से निर्मित नहीं हैं, का विश्लेषण किया गया है। भारत में वस्त्र इंजीनियरिंग उद्योग के विकास के लिए एक सुविधाजनक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की रणनीति तैयार करने की प्रक्रिया में वस्त्र मशीनरी विनिर्माताओं के हितधारकों के साथ भी बातचीत की गई है। प्रभाव आकलन अध्ययन और प्रौद्योगिकी अंतर विश्लेषण की सिफारिशों के आधार पर वस्त्र उद्योग के साथ-साथ वस्त्र मशीनरी विनिर्माण उद्योग के विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श शुरू किया गया है, ताकि वस्त्र क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों के

आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने और स्वदेशी विकास का समर्थन करने के लिए एक नई योजना की परिकल्पना की जा सके और 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के अनुरूप भारत में वस्त्र मशीनरी के स्वदेशी विकास/विनिर्माण को समर्थन भी दिया जा सके।"

59. एमएमएफ क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बजटीय प्रावधानों के बारे में एक अन्य विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने साक्ष्य में निम्नवत जानकारी दी:

"हमारे पास एमएमएफ के लिए कोई अलग से बजट प्रावधान नहीं है। जो आपने कहा अर्थात दो नई योजनाओं के बारे में बात की गई है, तीन पीएलआई के बारे में बात की गई है, मेगा टेक्सटाइल पार्क के बारे में बात की गई है, वे विभिन्न योजनाएं हमारे पास हैं। पीएलआई मुख्य रूप से एमएमएफ में तकनीकी वस्त्रों के लिए है, लेकिन उन्हें मेगा टेक्सटाइल के बजट प्रावधानों में भी लाभ मिलेगा। तकनीकी वस्त्रों में भी चूंकि **80%** कच्चा माल मानव निर्मित फाइबर से आता है, इसलिए उन्हें लाभ होगा और हमारी अन्य स्कीमें जैसे पहले के छोटे पार्क, एकीकृत वस्त्र पार्क योजना या हमारी एटीयूएफएस योजनाएं, चाहे वे हमारी आईपीडीएस योजना हों या हमारी विद्युत कर योजना हो, यह योजना सभी के लिए है, मानव निर्मित फाइबर-विशिष्ट आयु-उपयुक्त योजना नहीं है।"

60. यह पूछे जाने पर कि वस्त्र और परिधान उद्योग की मूल्य श्रृंखला का मूल्यांकन करने के लिए क्या कोई अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) किया गया, मंत्रालय ने निम्नवत जानकारी दी:

"वस्त्र मंत्रालय ने वर्ष **2014-15** से **2018-19** तक पांच वर्षों की अवधि के लिए **149** करोड़ रूपए के वित्तीय परिव्यय के साथ " जूट सहित वस्त्र उद्योग के लिए अनुसंधान एवं विकास योजना " शुरू की है। इस योजना के तहत, भारत के प्रमुख संस्थानों को तकनीकी वस्त्र सहित विभिन्न वस्त्र क्षेत्र को कवर करने वाली कुल **71** परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।"

61. समिति ने पूछा कि क्या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से मानव निर्मित फाइबर क्षेत्र में कामगारों को कोई प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके उत्तर में, मंत्रालय ने निम्नवत जानकारी दी:

> **"**सरकार ने शुरूआत के तीन वर्षों में वर्ष **2017-18** से **2019-20** के लिए कताई और बुनाई को छोड़कर वस्त्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए **"**वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना (एससीबीटीएस)**"** नामक नई योजना को अनुमोदित किया है। समर्थ योजना पारंपरागत क्षेत्र सहित सभी मूल्य श्रृंखला के लिए विशिष्ट रोजगार की भूमिकाओं के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करता है। वर्तमान में एमएमएफ क्षेत्र के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए किसी भी स्टेकहोल्डर द्वारा कोई मांग नहीं की गई है।"

62. यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रालय ने नीतिगत ढांचे में कमियों को दूर करने के लिए वस्त्र उद्योग के उद्यमियों के साथ कोई जागरूकता/संवेदीकरण/क्षमता निर्माण अभियान चलाया है**,** इस संबंध में मंत्रालय ने निम्नवत जानकारी दी:

> **"**हितधारकों की उद्योग वस्त्र इकाईयों/उद्यमियों के साथ नियमित रूप से बैठकें की गई हैं ताकि नीतिगत ढांचे में मुद्दों/शिकायतों/अवरोधों का समाधान किया जा सके।"

सात. <u>कपास बनाम एमएमएफ</u>

63. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, समिति को सूचित किया गया था कि मानव निर्मित फाइबर का उत्पादन मुख्य रूप से पेट्रोलियम आधारित रसायनों के पॉलिमर या कच्चे माल के छोटे अणुओं के संयोजन से किया जाता है और उन्हें कार्बनिक और अकार्बनिक में वर्गीकृत किया जा सकता है। कार्बनिक मानव निर्मित फाइबर या तो प्राकृतिक पॉलिमर को बदलकर या सिंथेटिक पॉलिमर से बनाए जाते हैं**।** अब तक प्राकृतिक पॉलिमर में एसीटेट, ट्राइएसीटेट, एल्गिनेट, लायोसेल, मोडल और विस्कोस शामिल हैं। दूसरी ओर, सिंथेटिक पॉलिमर में ऐक्रेलिक, मोडाक्रिलिक, अरामिड, क्लोरोफाइब्रे, इलास्टेन2, इलास्टोडिन2, फ्लोरोफाइबर, पॉलीमाइड, पॉलीमाइड, पॉलिएस्टर,

पॉलीथीन2, विनाइल आदि शामिल हैं। बाजार में अन्य प्रकार का मानव निर्मित फाइबर अकार्बनिक हैं जो कार्बन, सिरेमिक, ग्लास, धातु हैं जो द्वि/बहु-घटक फाइबर से बनाए जाते हैं।

64. मंत्रालय ने यह भी बताया कि मानव निर्मित फाइबर में, सिंथेटिक फाइबर फाइबर बास्केट में **91** प्रतिशत का योगदान करता है और वस्त्र मूल्य श्रृंखला में मानव निर्मित फाइबर के योगदान को क्रांतिकारी बनाया है। सेल्यूलोसिक फाइबर जैसे विस्कोस, मोडल, आदि और कपास, ऊन आदि जैसे प्राकृतिक फाइबर के लिए मानव निर्मित फाइबर का सम्मिश्रण भी पिछले कुछ वर्षों के दौरान काफी बढ़ रहा है।

65. जहां तक मानव निर्मित फाइबर क्षेत्र में खपत के प्रतिशत का संबंध है, वैश्विक मिल फाइबर की खपत **30** प्रतिशत कपास है अर्थात मानव निर्मित फाइबर की **70** प्रतिशत खपत। इसके विपरीत, भारत की मिल फाइबर खपत **60** प्रतिशत कपास**, 34** प्रतिशत मानव निर्मित फाइबर और **6** प्रतिशत प्राकृतिक फाइबर है।

66. मंत्रालय के प्रतिनिधि ने साक्ष्य में जोड़ा कि:

> **"**भारत का वस्त्र उद्योग काफी हद तक मिल खपत स्तर पर लगभग **60** से **65** प्रतिशत और एमएमएफ का **35** प्रतिशत कपास से चलता है, जो वैश्विक स्तर पर एमएमएफ की प्रमुख बाजार हिस्सेदारी के विपरीत है**...'**

67. वैश्विक स्तर पर कपास और मानव निर्मित फाइबर के बीच खपत के पैटर्न में विसंगति को दूर करने के लिए किए गए उपायों पर विस्तार से बताने के लिए कहे जाने पर**,** मंत्रालय ने निम्नवत जानकारी दी:

> **"**भारत में कपास और मानव निर्मित फाइबर के बीच खपत के पैटर्न में विसंगति को दूर करने के लिए**,** भारत सरकार ने हाल ही में एमएमएफ वस्त्र के विनिर्माण

आधार के विकास का समर्थन करने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। विवरण नीचे दिया गया है:

उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना: वस्त्र मंत्रालय ने यह योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य एमएमएफ परिधान, एमएमएफ फैब्रिक्स और तकनीकी वस्त्र के उत्पादों को बढ़ावा देना है।

पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और अपैरल पार्क: वस्त्र मंत्रालय ने **2021-22** के केंद्रीय बजट में घोषित और केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित **7** पीएम मित्र पार्कों की स्थापना की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य आत्मानिर्भर भारत के निर्माण और भारत को वैश्विक वस्त्र मानचित्र पर मजबूत करना है।"

68. सूती वस्त्रों के साथ-साथ मानव निर्मित वस्त्रों के बेहतरी के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में एक अन्य विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में, मंत्रालय ने निम्नानुसार उत्तर दिया:-

"पीएलआई योजना के तहत भारत में एमएमएफ परिधान, एमएमएफ फैब्रिक और तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्रों/उत्पादों के अधिसूचित उत्पादों के निर्माण के लिए पांच वर्षों के दौरान **10,683** करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। यह बढ़ रहे उच्च मूल्य वाले एमएमएफ क्षेत्र को गति प्रदान करेगा जो रोजगार और व्यापार के नए अवसर पैदा करने में कपास और अन्य प्राकृतिक फाइबर आधारित वस्त्र उद्योग के प्रयासों का पूरक होगा। इस योजना के तहत कुल **64** परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। **245362** के प्रस्तावित रोजगार सृजन के साथ आवेदकों की ओर से कुल **19798** करोड़ रु. का निवेश किए जाने की उम्मीद है और **193926** करोड़ रु. का कारोबार अनुमानित है।"

69. समिति के समक्ष 03.11.2020 को दिए गए साक्ष्यों के दौरान, तत्कालीन सचिव, वस्त्र मंत्रालय ने साक्ष्य में जोड़ा कि:

"यह मानव निर्मित बनाम कपास के बारे में नहीं है। यह मानसिकता वहां नहीं होनी चाहिए। कपास को भी जीवित रहना चाहिए क्योंकि कपास इस जलवायु में हमारे लोगों के लिए बहुत अधिक स्वास्थवर्धक है। जैसा कि देखा जा रहा है, इस

सभा में उपस्थित हमारे अधिकांश माननीय सदस्यों की ग्रामीण क्षेत्रों में एक समय में अपनी पृष्ठभूमि है। वे गांव के रहने वाले हैं। पहले गांव में जितने लोग धोती और कुर्ता पहनते थे, आज उतने लोग इसे नहीं पहनते... आजकल लोग जींस पहनते हैं क्योंकि यह टिकाऊ है ... कॉटन फाइबर सभी जींस बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है... मानव निर्मित फाइबर को कपास के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमारे मानव निर्मित फाइबर को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए।"

70. मौजूदा सचिव, वस्त्र मंत्रालय ने आगे निम्नवत बताया:

"पहले हमारा कपास उत्पादन **350** से **360** लाख गट्ठा हुआ करता था, लेकिन अब काटी गई कपास में, यह अनुमान लगाया गया है कि केवल **315** लाख गट्ठा हुई हैं। चूंकि कपास का उत्पादन नहीं बढ़ रहा है और समग्र वस्त्र उद्योग को बढ़ना है, इसलिए यह मुख्य रूप से मानव निर्मित फाइबर की वजह से बढ़ेगा। जैसा कि उल्लेख किया गया है, हमारे पास **65** प्रतिशत कपास और केवल **35** प्रतिशत मानव निर्मित फाइबर है, जबकि दुनिया भर में पहले से ही **70** प्रतिशत मानव निर्मित फाइबर और **30** प्रतिशत प्राकृतिक फाइबर है, जो क्रमशः **80** प्रतिशत और **20** प्रतिशत, **84** प्रतिशत और **16** प्रतिशत तक बढ़ रहा है।"

भाग-I

टिप्पणियां /सिफारिशें

1. समिति नोट करती है कि भारत में उत्पादित कपड़े विशेष रूप से मानव निर्मित वस्त्र अपनी उत्कृष्ट कारीगरी, टिकाऊपन और अन्य तकनीकी गुणों के लिए जाने जाते हालांकि, कुछ फाइबर और फिलामेंट्स पर शुल्क संबंधी अवरोध, उच्चतर लेबी और और पाटन-विरोधी शुल्क, भारी लागत वित्त पोषण, प्रतिस्पर्द्धा के समान अवसरों का अभाव, संरचनात्मक और अवसंरचनात्मक कमजोरियों के साथ-साथ बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देश पड़ोसी देशों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा जैसी कई अडचनें/बाधाएं भारतीय एमएमएफ क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता में बाधा डालती हैं। समिति का सुविचारित मत है कि इन बाधाओं को दूर करने और मानव निर्मित क्षेत्र में में वृद्धि को बढ़ावा देने की दिशा में ईमानदार प्रयास अत्यावश्यक हैं क्योंकि वस्त्र मंत्रालय ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र के व्यापार को 164 बिलियन अमेरीकी डॉलर के वर्तमान स्तर से वर्ष 2025 तक कुल 350 बिलियन अमेरीकी डॉलर तक बढाने की कल्पना की है, जिसमें एमएमएफ उत्पादों का महत्वपूर्ण योगदान होगा।

वैश्विक एमएमएफ/वैश्विक व्यापर और भारत की हिस्सेदारी

2. समिति नोट करती है कि एमएमएफ वस्त्र और परिधान (व. और परि.) क्षेत्र में वैश्विक वैश्विक व्यापार 4.05 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) के साथ वर्ष 2010 में 233.71 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2021 में 361.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।I समिति ने पाया कि व. और परि. के वैश्विक निर्यात में प्रमुख योगदानकर्ताओं में से, चीन 40.03 प्रतिशत के साथ वैश्विक निर्यात हिस्सेदारी पर प्रभुत्व रखता है, इसके बाद वियतनाम (5.90 प्रतिशत), जर्मनी (4.45 प्रतिशत), तुर्की (3.80 प्रतिशत), इटली (3.49 प्रतिशत) आता है और एमएमएफ फाइबर वस्त्रों

के वैश्विक हिस्से में 2.73 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ भारत छठे स्थान पर है। समिति को इस तथ्य से राहत है कि भारत के मानव निर्मित वस्त्र और परिधान के निर्यात में सीएजीआर 5.04 प्रतिशत (2010-2021) की वृद्धि से वह चीन (4.88 प्रतिशत), जर्मनी (2.48 प्रतिशत) और इटली (2.22 प्रतिशत) जैसे प्रतिस्पर्धी देशों से काफी आगे है। समिति उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई), पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (पीएम मित्र) पार्क योजना और राज्य और केंद्रीय करों (आरओएससीटीएल) की छूट योजना जैसे नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से एमएमएफ क्षेत्र के समग्र विकास को मजबूत करने की दिशा में मंत्रालय द्वारा की गई सराहनीय पहलों को प्रशंसा करते हुए यह इच्छा रखती है कि वस्त्र और परिधान उत्पादों में निवेश आकृष्ट करने के लिए अतिरिक्त जोर और प्रोत्साहन के साथ इस गति को निरंतर बनाए रखे जाए ताकि वैश्विक निर्यात बाजार में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाया जा सके।

3. समिति नोट करती है कि 2010 के दौरान, शीर्ष 90 एमएमएफ उत्पादों का वैश्विक निर्यात 175 बिलियन अमेरिकी डॉलर था जो 2021 के दौरान बढ़कर 302.87 बिलियन बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। इसी अवधि के दौरान भारत का योगदान कुल वैश्विक निर्यात की तुलना में 2010 के दौरान 2.36 प्रतिशत और 2021 के दौरान प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ क्रमशः 4.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 7.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। चूंकि 2010 से 2021 तक के वर्षों के दौरान मूल्य और हिस्सेदारी दोनों के संदर्भ में प्रगति उतनी उत्साहजनक प्रतीत नहीं होती, इसलिए समिति मंत्रालय से आग्रह करती है कि वह उत्पाद विविधीकरण के प्रयासों को तेज करे करे ताकि अनुपालन और संधारनीयता के वैश्विक स्तर पर स्वीकृत मानदंडों के अनुरूप एमएमएफ उत्पादों में निर्यात को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके।

<u>भारत के वस्त्रों की मूल्य श्रृंखला</u>

4. समिति नोट करती है कि भारत एमएमएफ उद्योग के लिए आवश्यक दो बुनियादी कच्चे माल अर्थात् शुद्ध टेरेफ्थैलिक एसिड (पीटीए) और मोनोइथीलीन ग्लाइकोल (एमईजी) का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। मंत्रालय के अनुसार, पीटीए और एमईजी की घरेलू क्षमता वर्तमान घरेलू मांग को पूरा करने के लिए लगभग पर्याप्त है, हालांकि, लगातार बढ़ती उपभोक्ता मांग के मद्देनजर उनकी निरंतर उपलब्धता और लागत प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित की जानी चाहिए। समिति ने पाया है कि रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से पीटीए और एमईजी सहित विभिन्न बहुलक (पॉलिमर)/पेट्रो-रसायनों की मांग आपूर्ति के अंतर को कम करने के लिए एक संदर्शी योजना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। चूंकि पीटीए और एमईजी की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक बेहतर योजना बनाना महत्वपूर्ण और आवश्यक है, जो एमएमएफ का मूलभूत कच्चा माल हैं, इसलिए समिति की इच्छा है कि प्रस्तावित परिप्रेक्ष्य योजना को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाए जो पीटीए और एमईजी मूल्य श्रृंखला की घरेलू क्षमता के विकास के लिए आवश्यक एक विशिष्ट नीति तैयार करने में मदद प्रदान करेगा।

5. समिति का ध्यान वस्त्र मूल्य श्रृंखला की स्पिनिंग, विविंग, निटिंग और प्रसंस्करण प्रसंस्करण के विभिन्न क्षेत्रों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों की ओर आकृष्ट किया गया है, जैसे क्षमता का कम उपयोग, कम उत्पादन दक्षता, उच्च एट्रिशन दर, गुणवत्ता की कमी, अत्यधिक अपव्यय और कुशल कार्यबल की अनुपलब्धता जो एमएमएफ क्षेत्र के सशक्त विकास को बाधित कर रही है। समिति मंत्रालय द्वारा की गई विभिन्न पहलों अर्थात: संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए वस्त्र क्षेत्र क्षमता विनिर्माण विनिर्माण योजना (एससीबीटीएस) और बाधाओं को दूर करने की दृष्टि से सभी

श्रृंखलाओं के लिए विशिष्ट कार्य भूमिकाओं के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करने वाली समर्थ योजना की सराहना करती है । समिति ने मंत्रालय से कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के साथ समन्वय करने का आह्वान करती है ताकि एमएमएफ क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को बढ़ाने के लिए लक्षित कई कौशल/ अपस्किलिंग प्रशिक्षण / क्षमता संवर्धन कार्यक्रम कार्यक्रम शुरू करके अपने प्रयासों को आगे बढ़ाया जा सके।

<u>एमएमएफ निर्यात को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलें</u>

6. **समिति अपनी मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव (एमएआई) के तहत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करती है, जो विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों और व्यापार निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ताकि वस्त्र उत्पादों को लागत प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके और परिधान/ परिधानों और मेड-अप के निर्यात पर राज्य और केंद्रीय करों पर छूट (आरओएससीटीएल) की छूट को 31 मार्च 2024 तक बढ़ाकर शून्य रेटेड निर्यात के सिद्धांत को अपनाया जा सके। समिति की इच्छा है कि एफटीए और अन्य व्यापार चैनलों के तहत उपलब्ध और रियायतों का लाभ उठाने के लिए अन्य उपायों की खोज करने के प्रयासों को और मजबूत किया जाए ताकि निर्यात को बढ़ाया जा सके और मानव निर्मित फाइबर को समग्र रूप से बढ़ावा दिया जा सके।**

7. **समिति यह नोट कर चिंतित है कि भारत यूरोपीय संघ (ईयू) और ब्रिटेन (यूके) जैसे कुछ बाजारों में टैरिफ नुकसान का सामना कर रहा है जबकि बांग्लादेश और वियतनाम जैसे अन्य देश लाभ में है क्योंकि उन्हें या तो वरीयताओं की सामान्यीकृत प्रणाली (जीएसपी) का लाभ मिलता है या यूरोपीय और यूके बाजारों में कम आयात शुल्क का फायदा मिलता है। मंत्रालय ने बताया है कि भारतीय वस्त्र उत्पाद 9.5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत**

प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए, भारतीय उत्पाद अपनी कीमत के कारण नुकसान पर हैं और ऐसे बाजारों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में सक्षम नहीं हैं। समिति ने भारत-संयुक्त अरब अमीरात और भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ईसीटीए) के बीच क्रमशः 18.02.2022 और 02.04.2022 को हाल ही में हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) के साथ हुई प्रगति की सराहना करते हुए इच्छा व्यक्त की कि यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, इज़राइल और अन्य बाजारों/क्षेत्रों के के साथ चल रहे विचार-विमर्श के मामले में बातचीत की औपचारिकताओं को को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि संबंधित देशों के बाजारों तक निर्बाध निर्बाध पहुंच प्रदान की जा सके और भेदभावपूर्ण मूल्य निर्धारण तथा भारत द्वारा सामना किए जाने वाले प्रतिस्पर्धी संबंधी नुकसान को दूर किया जा सके।

<u>व्यापार हेतु उपचारात्मक उपाय</u>

<u>पाटन-रोधी शुल्क</u>

8. समिति नोट करती है कि मंत्रालय ने वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर कच्चे माल की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने किसी भी निर्यातक देश से अनुचित व्यापार प्रथाओं के प्रतिकूल प्रभाव को दूर छोड़कर) और ऐक्रेलिक फाइबर पर पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने जैसे निर्यात को बढ़ाने हेतु विभिन्न उपाय किए हैं। समिति इच्छा व्यक्त करती है

कि मंत्रालय द्वारा विभिन्न हितधारकों के हितों को संतुलित करने की दिशा में में टैरिफ नीति विशेष रूप से एमएमएफ क्षेत्र के कच्चे माल पर पाटन-रोधी शुल्क लगाने से संबंधित किए गए प्रयासों को जारी रखा जाए।

<u>इनवर्टेड शुल्क संरचना</u>

9. समिति यह नोट कर चिंतित है कि वर्तमान में एमएमएफ मूल्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों में अलग-अलग जीएसटी संरचना लागू है जबकि भारतीय वस्त्र लगाया जाता है। समिति ने पाया कि वस्त्र मंत्रालय द्वारा इस मामले को कपड़ा क्षेत्र में इनवर्टेड शुल्क संरचना को सही करने के लिए जीएसटी दर में किया गया और जीएसटी परिषद द्वारा अपनी 46वीं बैठक में निर्णय को क्षेत्र में मौजूदा दरें 01.01.2022 से आगे भी जारी हैं। समिति का दृढ़ मत है है कि मानव निर्मित वस्त्रों के लिए कच्चे माल के आदानों पर शुल्कों को दरें और इनवर्टेड शुल्क संरचना भारतीय वस्त्र और परिधान उद्योग को मंत्रालय से आग्रह करती है कि वह समुचित रूप से इस मामले का अनुसरण

करे ताकि उद्योग की निर्यात क्षमता का लाभ उठाने के लिए प्रणालीगत सुधार किए जा सकें।

<u>उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना</u>

एमएमएफ कपड़े और तकनीकी वस्त्र उत्पादों को बढ़ावा देने की दृष्टि से 10,683 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय के साथ उत्पादन से जुड़ी कंपनियां एक निश्चित सीमा तक निवेश प्राप्त करने पर प्रोत्साहन प्राप्त के लिए पात्र होंगी ताकि वे अपने स्वरूप और व्यापकता का विस्तार कर सकें, सकें, प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा दे सकें और उत्पादन की मात्रा बढाकर अनुपालन जैसी बाधाओं को दूर कर रोजगार सृजित कर सके। मंत्रालय के अंतर्गत न्यूनतम निवेश 300 करोड़ रुपये है और प्रथम वर्ष में आवश्यक टर्नओवर प्राप्त करने पर 15 प्रतिशत प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा और भाग-2 के तहत न्यूनतम निवेश 100 करोड़ रुपये है और पहले वर्ष में आवश्यक टर्नओवर प्राप्त करने पर 11 प्रतिशत प्रोत्साहन प्रदान किया पांचवें वर्ष तक प्रोत्साहन में हर साल एक प्रतिशत की कमी की जाएगी। मंत्रालय ने बताया है कि 01.01.2022 से 28.02.2022 के बीच वेब पोर्टल के माध्यम से 67 आवेदन प्राप्त हुए थे और चयन समिति द्वारा 19,798 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश के साथ 64 आवेदकों का चयन किया गया

सक्रिय और सतर्क रहने पर बल देती है। समिति आगे यह भी इच्छा व्यक्त करती है कि इस प्रयोजनार्थ लगी एजेंसियों द्वारा निगरानी तंत्र को सुदृढ़ किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना के मुख्य उद्देश्यों करने में भारत अपने प्रतिस्पर्धियों से जितना पीछे है उस अन्तर को समाप्त करने का कार्य करेगी।

11. समिति 2021-22 में प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (पीएम (पीएम मित्र) योजना के तहत 7 टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना की सराहना करती है ताकि कपड़ा उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी होने के लिए आवश्यक आकार और कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। समिति विविधीकरण को प्रोत्साहित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने हेतु उनके कार्यान्वयन के लिए एक प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के लिए सभी सभी आवश्यक प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं में तेजी लाई जाए।

<u>प्रौद्योगिकी उन्नयन</u>

12. समिति नोट करती है कि संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ए-उन्नयन और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए वैश्विक स्तर पर तुलनीय

ब्याज दरों पर बेंचमार्क मशीनरी की स्थापना और संचालन के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी (सीआईएस) के रूप में समय पर ऋण की सुविधा का विस्तार विस्तार किया जाता है। मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए उपायों अर्थात उद्यमियों को उनकी इकाइयों में बेंचमार्क प्रौद्योगिकी के शटल-रहित करघों की करने के लिए 10 प्रतिशत पूंजी निवेश सब्सिडी (सीआईएस) की पेशकश को वस्त्र क्षेत्र के आधुनिकीकरण और विकास प्रक्रिया में तेजी लाने का आह्वान करती है ताकि उद्योग के सामंजस्यपूर्ण विकास को सुनिश्चित किया जा सके।

13. समिति नोट करती है कि वस्त्र मशीनरी में प्रौद्योगिकी के अभाव का मूल्यांकन करने के लिए विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ), नीति आयोग द्वारा टीयूएफएस का एक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, 2022 में ए-टीयूएफएस की अवधि के समापन के बाद, जिन मशीनों का उन्नयन आवश्यक है उनकी पहचान और उन्नत की जाने वाली मशीनरी की मात्रा का आकलन करने की प्रक्रिया को लगातार आगे बढ़ाने के लिए एक संशोधित योजना लागू की जाएगी। समिति का दृढ़ मत है कि उपयुक्त समय पर प्रौद्योगिकी के अभाव के विश्लेषण का प्रभाव मूल्यांकन एक सही कदम है तथा समिति यह सिफारिश करती है कि मशीनरी के उन्नयन/आधुनिकीकरण पर अनुसंधान और विकास के लिए विशेष बजट का आवंटन किया जाए ताकि वैश्विक मशीनरी मशीनरी के आयात पर निर्भरता को कम किया जा सके।

<u>तकनीकी वस्त्र</u>

14. समिति नोट करती है कि तकनीकी वस्त्र उच्च प्रौद्योगिकी का उभरता हुआ क्षेत्र है और तकनीकी वस्त्रों के वैश्विक बाजार में भारत 2019-20 में 5

प्रतिशत की हिस्सेदारी और 18.89 बिलियन अमरीकी डालर के अनुमानित आकार के साथ 13 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़ते हुए लगातार अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। भारतीय तकनीकी वस्त्र उद्योग की जबरदस्त विकास क्षमता को ध्यान में रखते हुए और घरेलू बाजार में तकनीकी वस्त्र के उपयोग को बढ़ाने हेतु सरकार ने 2020-21 से 2023-24 तक के 4 वर्षों की अवधि के लिए 1480 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम) को स्वीकृति दी है जिसमें चार घटक शामिल हैं- अनुसंधान, नवाचार और विकास; संवर्धन और बाजार विकास; निर्यात संवर्धन; संवर्धन; और तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में शिक्षा प्रशिक्षण और कौशल विकास। यह नोट करना उत्साहजनक है कि सरकार ने तकनीकी वस्त्र खंड के लिए स्वचालित रूट के तहत 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति दी है जो अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र निर्माताओं को भारत में परिचालन शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा, तकनीकी वस्त्रों के बाजार विकास के के लिए हाल ही में कई पहलें की गई हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ सीआईआई के साथ तकनीकी वस्त्र सहयोग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन; भारत में तकनीकी वस्त्र उद्योग पर बेसलाइन अध्ययन 2020 का विकास; उपयोगकर्ता मंत्रालयों और निर्माताओं के साथ भू-वस्त्रों के अनुप्रयोग क्षेत्रों व्यापक बनाने पर उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी बैठक; कृषि वस्त्रों, चिकित्सा वस्त्रों, सुरक्षात्मक वस्त्रों और भू वस्त्रों में गुणवत्ता नियंत्रण ऑर्डर के तहत लाए जाने वाले 107 तकनीकी वस्त्र मदों की सूची की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक; तकनीकी वस्त्र आदि के प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षाविदों की भागीदारी के साथ साथ आर एंड डी आउटरीच वेबिनार आदि शामिल हैं। तकनीकी वस्त्रों के विकास के लिए शुरू किए गए उपायों की सराहना करते हुए और उद्योग में

तकनीकी वस्त्रों के विभिन्न घटकों जैसे मेडिटेक, बिल्डटेक, मोबाइलटेक, इंडुटेक, प्रोटेक, स्पोर्टेक, जियोटेक के कार्यात्मक उपयोग के आधार पर उनके महत्व को ध्यान में रखते हुए, समिति मंत्रालय से तकनीकी वस्त्रों के विकास विकास और विस्तार के लिए अन्य अभिनव उपायों की तलाश करने के अलावा अलावा पहले से जारी प्रयासों को तेज करने का आह्वान करती है। समिति यह भी चाहती है कि मंत्रालय तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए पीपीपी मॉडलों की तलाश करे और वैश्विक कंपनियों के साथ रणनीतिक बाजार की साझेदारी की व्यवहार्यता का पता लगाए ताकि भारत को तकनीकी वस्त्रों का वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में स्वदेशी उद्योग के विकास को मजबूती प्रदान की जा सके।

<u>एमएमएफ क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त उपाय</u>

15. समिति नोट करती है कि 149 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ 2014-15 से 2018-19 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 'जूट सहित वस्त्र उद्योग के लिए अनुसंधान और विकास योजना' शुरू की गई थी। भारत के प्रमुख संस्थानों के लिए तकनीकी वस्त्र सहित विभिन्न वस्त्र डोमेन को कवर करने वाली कुल 71 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। वस्त्र मूल्य श्रृंखला में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) को आगे बढ़ाने के मंत्रालय के प्रयासों को ध्यान में रखते हुए, समिति मंत्रालय को भविष्य में भी इस तरह की पहलों को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करती है ताकि बाजार के बदलावों के प्रति अनुकूलन हो सके और एमएमएफ कपड़े के विकास के लिए मजबूत तंत्र स्थापित किया जा सके।

16. समिति यह नोट कर चिंतित है कि वस्त्र उद्योग में एमएमएफ क्षेत्र की वृद्धि की अपार संभावनाओं के बावजूद एमएमएफ के लिए अलग से बजट का कोई कोई प्रावधान नहीं है। इसमें शामिल अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए समिति मंत्रालय से एमएमएफ क्षेत्र के लिए एक समर्पित बजट आवंटन सृजित सृजित करने का आग्रह करती है ताकि एमएमएफ के बदलते वैश्विक परिदृश्य और विकास के अनुरूप इसके विकास और संवर्धन को सुविधाजनक बनाया जा सके ताकि विशेष रूप से एमएमएफ क्षेत्र के लक्षित क्षेत्रों हेतु विकास विकास किया जा सके और धन के उपयोग को चैनलाइज किया जा सके।

17. चूंकि सिंथेटिक परिधान धीरे-धीरे देश में पर्याप्त बाजार हिस्सेदारी प्राप्त कर रहे हैं, अतएव समिति महसूस करती है कि एमएमएफ को बढ़ावा देते समय मंत्रालय के लिए प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाते हुए उस माइक्रोफाइबर प्रदूषण को रोकने के तरीके विकसित करना अनिवार्य हो जाता है जो अपने छोटे आकार और विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रवेश करने की क्षमता के कारण पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को अत्यन्त प्रभावित कर सकता है।

<u>एमएमएफ बनाम सूती</u>

18. समिति नोट करती है कि वस्त्र और परिधान (टी एंड ए) उद्योग में भारत हिस्सा मुख्य रूप से क्रमशः 65:35 के अनुपात के साथ एमएमएफ की तुलना में कपास के पक्ष में अधिक है जबकि विश्व स्तर पर वस्त्र और कपड़ों के विनिर्माण का का अनुपात 70:30 के आंकड़े के साथ एमएमएफ वस्त्रों के पक्ष में है और विभिन्न अध्ययनों के अनुसार, भविष्य में इसमें 80 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होने का अनुमान है। कपास का वर्तमान उत्पादन पहले के 350-360 लाख गांठों की तुलना में केवल 315 लाख गांठ होने का अनुमान है। मंत्रालय के अनुसार चूंकि कपास का का उत्पादन नहीं बढ़ रहा है और समग्र कपड़ा उद्योग में वृद्धि होनी है, इसलिए इसमें मुख्य रूप से एमएमएफ के कारण वृद्धि होगी। समिति का सुविचारित मत है कि भारतीय जलवायु और इसकी विविधतापूर्ण संस्कृति में कपास के उत्पादन और उपयोग को कभी भी कम करके नहीं आंका जा सकता है। इसके साथ ही, वैश्विक फैशन प्रवृत्तियों में बदलाव और एमएमएफ उत्पादों की मांग, जो भारतीय वस्त्र उद्योग के व्यापक हित में है, को देखते हुए एमएमएफ क्षेत्र को बढ़ावा देना होगा। इसलिए, निष्कर्ष यह है कि कपास और एमएमएफ को एक साथ अस्तित्व में रहना रहना चाहिए और एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बजाय इन्हें एक दूसरे का पूरक होना चाहिए। इसलिए समिति मंत्रालय से आग्रह करती है कि वह भारत में कपास के उपयोग को मानव निर्मित फाइबर के साथ पूरित करने के संभावित लाभों लाभों के बारे में वस्त्र हितधारकों को शिक्षित करने के लिए जागरूकता /संवेदीकरण /संवेदीकरण अभियान चलाए।

नई दिल्ली; **भर्तृहरि महताब,**

<u>25 अगस्त, 2022</u> **सभापति,**

3 भाद्रपद, 1944 (शक) **श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी**

स्थायी समिति